वार्षिक रिपोर्ट
2019–20

दिल्ली विकास
प्राधिकरण

एक भव्य मास्टरप्लान के साथ
एक महान शहर

श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली में दि.वि.प्रा. की विकास संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन।

हौज नीला लेक

विषय

दि.वि.प्रा.: दिल्ली की विरासत का पथ प्रदर्शक	2–3
वर्ष की उपलब्धियां	4
प्राधिकरण का प्रबंधन तंत्र	5
योजना, वास्तुकला और भूदृश्यांकन विभाग	6–12
इंजीनियरिंग एवं निमाण गतिविधियाँ	13–16
उद्यान – राजधानी को हरा–भरा बनाना	17
भूमि प्रबंधन एवं भूमि निपटान विभाग	18–20
आवास विभाग	21
प्रणाली विभाग	22–23
खेल विभाग	24–28
वित्त एवं लेखा विभाग	29–33
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	34–35
विधि विभाग	36
सतर्कता विभाग	37–38
नजारत विभाग	39–40
कोटि आश्वासन कक्ष	41–42

1

दि.वि.प्रा.: दिल्ली की विरासत का पथ प्रदर्शक

विश्व के निरंतर आबाद होते रहने वाले शहरों में दिल्ली एक प्राचीनतम शहर है, जिसका ध्यान रखने का उत्तरदायित्व हमें गर्व से भर देता है। परन्तु चूंकि यह एक वांछनीय कर्तव्य है, इसलिए यह हमसे संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा रखने वाली भारी जिम्मेदारी भी है। भविष्य पर अपनी दृष्टि रखते हुए एवं अतीत के हजारों वर्षों का प्रबंधन करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण समकालीन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, समय के साथ-साथ इस शाश्वत शहर की बदलती हुई आवश्यकताओं पर ध्यान देता रहा है।

दिल्ली की गाथा इंद्रप्रस्थ से आरंभ होती है, जब पांडवों और कौरवों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप पांडवों द्वारा 5 गांव की मांग की गई थी। बाद में राजा सूरजमल के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बना और पृथ्वीराज चौहान के शासन में गढ़ के रूप में स्थापित हुई। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक और तुगलक से मुगलों तक के सम्राटों और साम्राज्यों के राज्यारोहण ने दिल्ली को भारत के मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख शहर के रूप में स्थापित किया। यह शहर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उस समय आया जब अंग्रेजों ने सन् 1911 में कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस शहर ने जो प्रतिष्ठा उस समय अर्जित की थी वह अभी तक कायम है क्योंकि दिल्ली स्वतंत्र भारत की ख्याति प्राप्त राजधानी बनी हुई है। प्रारंभ में उत्तरी रिज को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था किंतु बाद में इसकी अब स्थिति बदल कर रायसीना हिल्स के आस-पास का क्षेत्र कर दिया गया। एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश नगर योजनाकार थे। जिन्होंने सन् 1912 में जब तक दिल्ली की रूपरेखा तैयार की, तो दिल्ली को एक महानगर के रूप में विलक्षण विशेषता और भव्यता प्रदान की है।

सन् 1922 में एक छोटे से नजूल कार्यालय का गठन दिल्ली कलेक्ट्रेट में किया गया, जिसमें 10 से 12 कर्मचारी थे। यह शहर के नियोजित विकास को नियंत्रित करने वाला प्रथम प्राधिकरण था। सन् 1937 में नजूल कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर सुधार न्यास कर दिया गया जिसका गठन भवन निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने और भूमि उपयोग को नियमित करने के लिए संयुक्त प्रति सुधार अधिनियम 1911 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया। सन् 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब दिल्ली बड़ी संख्या में प्रवासियों के आगमन का साक्षी बना। इसकी जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लाख तक पहुंच गई, जिससे शहरी आधारिक संरचना की भारी कमी हो गई और नागरिक सेवाएं वास्तविक रूप से विफल हो गई। बड़ी संख्या में प्रवासियों को खुले स्थानों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। परिणामतः शहर के नियोजित विकास की नई दिशा तथा आवश्यकता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दिल्ली सुधार न्यास तथा नगर निकाय - यह दोनों स्थानीय निकाय उस समय बदलते हुए परिदृश्य का सामना करने के लिए सक्षम नहीं थे। दिल्ली के तीव्र और अव्यवस्थित विकास को नियोजित और नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सन् 1950 में जी.डी. बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

इस समिति ने दिल्ली के समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए एक एकल नियोजक एवं नियंत्रण प्राधिकरण की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप योजना के अनुरूप दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) अध्यादेश 1955 (जिसे दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के रूप में परिवर्तित किया गया) को लागू करते हुए दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण (डीडीपीए) का गठन किया गया। तत्पश्चात 27 दिसंबर 1957 को दिल्ली विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया और दिल्ली के 9वें निर्माता के रूप में अपना ऐतिहासिक उत्तरदायित्व संभाला।

प्रारंभ में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अनुसरण के लिए कोई मानदंड अथवा योजना नहीं थी। इसके पश्चात् शहर के सुव्यवस्थित और संरचनावाद विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1982 तक के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1962 में दिल्ली की मुख्य योजना बनाई। बाद में यह मुख्य योजना अन्य शहरों द्वारा बनाई जाने का मुख्य आधार एवं उदाहरण बनी। इस मुख्य योजना की मुख्य विशेषताओं में ऐसी भूमि का निर्धारण करना था, जिसे आवासीय क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा सके और व्यवसायिक उपयोगों के लिए पर्याप्त स्थान तथा सहायक आधारिक संरचनाएं उपलब्ध करा के स्वतः सुविधाओं वाली कॉलोनियों को विकसित किया जा सके। इस मुख्य योजना में वर्ष 2001 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए तथा इसे वर्ष 1990 में लागू किया गया। इस योजना में 2021 तक की अवधि के परिप्रेक्ष्य में दूरदृष्टि तथा नीति संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए और 7 फरवरी 2007 को इसे अधिसूचित किया गया। वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के साथ मिल कर दि.मु.यो. -2041 पर काम चल रहा है।

कुतुब गोल्फ कोर्स

एक भव्य मास्टरप्लान के साथ एक महान शहर

अपने विश्व-स्तर के नगर योजनाकारों की सहायता से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली को धीरे-धीरे एक वैश्विक महानगर बना दिया है। मुख्य योजना बनाने के अतिरिक्त दि.वि.प्रा. ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जो आज भारत के शहरी विकास के मानकों के रूप में कार्य कर रही है।

दि.वि.प्रा. क्षेत्रीय योजनाएं, कार्यक्षेत्र योजनाएं तथा शहरी विस्तार परियोजनाएं भी तैयार करता है। इसके कार्यक्षेत्र में आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक परिसर, कार्यालयी स्थान, भूमि विकास, परिवहन, आधारिक संरचना, दिल्ली में विरासत स्थलों का निर्धारण एवं संरक्षण खेल परिसर, खेल मैदान, गोल्फ कोर्स, पर्यावरण की सुरक्षा, हरित पट्टियों एवं वन इत्यादि को संरक्षित रखना शामिल हैं। दि.वि.प्रा. की विचारपूर्ण पहल एवं प्रयासों से दिल्ली को विश्व की हरित राजधानी के रूप में पहचान मिली है। दि.वि.प्रा. ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लगभग **783 पार्कों और 7 जैव वैविध्य पार्कों** के साथ, हरित क्षेत्रों के उन्नयन और रख-रखाव की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त इसमें **15 खेल परिसर 3 लघु खेल परिसर और 2 गोल्फ कोर्स** विकसित किए गए हैं। दि.वि.प्रा. ने हरित पट्टियों के निर्माण के अतिरिक्त दिल्ली में जैव विविधता फाउंडेशन की स्थापना कर शहर के प्राकृतिक संसाधनों और हरियाली के भविष्य को संपोषित करने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैव वैविध्य स्थलों की समृद्ध पारिस्थितिकी और प्राकृतिक जैव वैविध्य विशेषता को संरक्षित रखना है। इस फाउंडेशन ने अपनी तरह का पहला जैव वैविध्य उद्यान तैयार किया है, जिसमें से छह उद्यानों का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जीव विज्ञान पर पारिस्थितिकी विज्ञान तथा वन्यजीवों के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त वैज्ञानिकों के दल से तकनीकी सहायता प्राप्त करके किया जाएगा।

दिल्ली को वैश्विक विशिष्टता प्रदान करने के लिए दि.वि.प्रा. ने शहरी आधारिक संरचनाओं के विकास संबंधी अपने कार्यों के अतिरिक्त नागरिकों की परिवहन तथा प्रतिदिन की यात्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य कार्य भी किए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सड़कों, राजमार्गों और संबंधित आधारिक संरचना की योजना बनाने और आवागमन बढ़ाने, भीड़ कम करने तथा सुगम यातायात बढ़ाने के लिए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना योजना और अभियांत्रिकी केंद्र (यूटीपैक) का गठन किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जन-सेवाओं को बेहतर, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का आधुनिकीकरण भी किया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की पहल और उपलब्धियों के सतत प्रयासों ने शहर को स्पष्टतया एक गतिशील, जीवंत, वैश्विक महानगरीय शहर में परिवर्तित किया है, जो भारत के गौरव के रूप में निर्बाध परिवर्तित रूपांतरित वृद्धिरत और उद्दीप्त हो रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण खेल सुविधाओं के विकास और हरियाली को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में भी प्रत्येक कल्पित रूप में जिंदगी को छूते और बदलते हुए निर्विवाद रूप से अग्रणी बन गया है।

चित्रगुप्त पार्क, रोहिणी

2

वर्ष की **उपलब्धियां**

वर्ष 2019-20 के दौरान दि.वि.प्रा. ने व्यवस्थित रूप से सुधार करने हेतु कई उपाय किए और अनेक नवीन पहल की भी शुरुआत की। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

1. ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.) नीति अधिसूचित।
2. लैंड पूलिंग नीति के तहत् लगभग 6575 हैक्टेयर भूमि को पूल्ड किया गया।
3. दि.मु.यो.-2041 की तैयारी।
4. दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखना।
5. द्वारका में कई परियोजनाओं का उद्घाटन।
6. स्व-स्थाने जेजे समूहों का पुनर्वास/पुनर्विकास।
7. ई-म्यूटेशन का कार्यान्वयन।
8. नरेला में जोड़ी के रूप में एलआईजी फ्लैटों के लिए हाउसिंग रनिंग स्कीम-2019 की शुरुआत।
9. कंप्यूटरीकृत कॉल सेंटर स्थापित करना।
10. खेल परिसरों और पार्कों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव।
11. ई-ऑफिस का कार्यान्वयन।

श्री हरदीप एस पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली ने द्वारका में दि.वि.प्रा. की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए।

प्राधिकरण का **प्रबंधन** तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया। यह निगमित निकाय है, जिसके पास संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और उसका निपटान करने की शक्ति है, श्री अनिल बैजल दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। श्री अनिल बैजल, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 31.12.2016 को दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री अनिल बैजल के पास सचिव (शहरी विकास), भारत सरकार, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य सचिव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य कार्यों की अतिरिक्त प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार भी रहा है। श्री अनिल बैजल ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सलाहकार समूह (एन.ए.जी.) विद्युत, कोयला और अक्षय ऊर्जा एकीकृत विकास सलाहकार समूह और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन समिति के सलाहकार होने के अतिरिक्त विचार मंच में कार्यकारी परिषद और मल्टीपल कॉरपोरेट बोर्ड में भी कार्य किया।

वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार से है:-

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	**श्री अनिल बैजल,** *उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा.*	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
2.	**श्री तरुन कपूर** *उपाध्यक्ष*	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
3.	**श्री के. विनायक राव** *वित्त सदस्य*	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
4.	**श्री शैलेन्द्र शर्मा** *अभियंता सदस्य*	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
5.	**श्री के. संजय मूर्ति** *अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय*	01.04.2019 से 18.11.2019 तक
6.	**श्री कामरान रिज़वी** *अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय*	02.01.2020 से 31.03.2020 तक
7.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** *सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड,*	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
8.	**श्री विजेंद्र गुप्ता** *विधायक*	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
9.	**श्री सोमनाथ भारती** *विधायक*	01.04.2019 से 11.02.2020 तक
10.	**श्री एस. के बग्गा** *विधायक*	01.04.2019 से 11.02.2020 तक
11.	**श्री ओ.पी.शर्मा** *विधायक*	01.04.2019 से 11.02.2020 तक
12.	**श्री मनीष अग्रवाल** *निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम*	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
13.	**श्री संजय गोयल**	16.05.2019 से 4.09.2019 तक
	श्रीमती भावना मलिक *निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम*	17.10.2019 से 31.12.2019 तक 14.02.2020 से 31.03.2020 तक

3.3 दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्य

यह निकाय, दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 की धारा 3 के अंतर्गत गठित है। जो प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों, जो प्राधिकरण इसे भेजता है, पर सलाह देता है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार रहा:-

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

लोकसभा के सदस्य

श्री रमेश बिधूड़ी : 01.04.2019 से 25.05.2019 तक
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : 01.04.2019 से 25.05.2019 तक

राज्य सभा के सदस्य

श्री प्रभात झा : 01.04.2019 से 23.03.2020 तक

सदस्य

श्री रमेश पंडित : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
श्री मीर सिंह : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
श्री सुनील बजाज : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
श्री आर.के. कक्कड़ : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
मुख्य वास्तुकार (सेवानिवृत्त)
के.लो.नि.वि.
श्री अशोक खुराना : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
(सेवानिवृत्त) डीजी,
के.लो.नि.वि.
अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
अध्यक्ष, सी.ई.ए. : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
महानिदेशक (रक्षा संपदा) : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
रक्षा मंत्रालय
अपर निदेशक (सामान्य) (आरडी) : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
महाप्रबंधक (विकास) एमटीएनएल : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी : 01.04.2019 से 31.03.2020 तक
(एमसीडी)

4

योजना, वास्तुकला और भूदृश्यांकन विभाग

4.1 योजना विभाग

4.1.1 मुख्य योजना अनुभाग

दि.मु.यो. – 2021 के संशोधन की प्रक्रिया चल रही है:

- दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएन्टिड डेवलेपमेंट (टीओडी) हेतु मासौदा नीति और विनियम।
- दिल्ली मुख्य योजना में उद्योग संबंधी अध्याय – रा.रा.क्षे.स. द्वारा सुझाव दिया गया।
- आवासीय उपयोग परिसरों में फिटनेस और स्वास्थ्य केन्द्रों की अनुमेयता।
- 200 वर्ग मी. तक के आवासीय प्लाटों का समामेलन।
- मुख्य योजना में उप–नगर स्तर पर धार्मिक श्रेणी के अतंर्गत विकास नियन्त्रण मानदण्ड और अनुमेय गतिविधियाँ।
- आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उद्योगो की अनुमेयता।
- नर्सरी स्कूल प्लाटों, ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के वैकल्पिक उपयोग और होटलों में अनुमेय गतिविधियों हेतु नीति।

दि.मु.यो. – 2021 में अधिसूचित नीति/विनियम/संशोधन

- दिल्ली में वाकेबिलीटी बढ़ाने के लिए विनियम।
- रेस्टोरेंट को अनुमति देना, संशोधनों के साथ बैंक लॉकर की अनुमति देना।
- अध्याय 5, पैरा 5.6.3 (ए) और अध्याय 15, पैरा 15.9 (v) में लागू प्रभारों के संबंध में प्रावधान।

4.1.2 एकीकृत यातायात और परिवहन अवसंरचना योजना और अभियान्त्रिकी केंद्र (यूटीपैक)

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक प्रगति:

यूटीपैक द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ/प्रस्ताव:

- द्वारका उप–नगर के लिए व्यापक मोबिलीटी योजना।
  - दि.वि.प्रा. और एस.पी.ए. दिल्ली द्वारा दिनांक 12.04.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और प्रारम्भ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
  - प्रगति की निगरानी के लिए आयुक्त (योजना) और माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में कई बैठकें आयोजित की गई।
  - दिल्ली में वॉकेबिलीटी बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनियम। इसके अतिरिक्त, वॉक प्लान तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई।
  - दिल्ली मुख्य योजना–2021 के भाग के रूप में, 'अध्याय 20.0 ट्रांजिट ओरिएन्टिड डेवलेपमेंट (टीओडी) नीति' के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार द्वारा ट्रांजिट ओरिएटिन्ड डेवलेपमेंट (टीओडी) नीति अधिसूचित की गई और प्राधिकरण द्वारा टीओडी विनियमों को अनुमोदित किया गया और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अनुमोदन और अंतिम अधिसूचना के लिए भेजा गया।
- मल्टी मॉडल इन्टीग्रेशन (एमएमआई)
  - विस्तृत एमएमआई योजनाओं की तैयारी के लिए फेज–III मैट्रो स्टेशनों के 59 संकल्पनात्मक एमएमआई प्लान जारी किए गए।
  - फेज 1 और 2 मैट्रो स्टेशनों के 8 संकल्पनात्मक एमएमआई प्लान पर कोर ग्रुप बैठक में चर्चा की गई।
  - आयुक्त (योजना) की अध्यक्षता में कुल 6 कोर बैठकें आयोजित की गई।
  - प्रधान सचिव, पी.डब्ल्यू.डी., रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में पांच कार्यकारी समूह–II बी बैठकें आयोजित की गई।
  - माननीय उप राज्यपाल की अध्यक्षता में राजनिवास मे एक गर्वनिंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई।

4.1.3. लैंड पूलिंग सेल

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक वास्तविक प्रगति:

भागीदारी की सम्मति के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से लैंड पार्सल का पंजीकरण

- लैंड पूलिंग नीति के प्रचालन हेतु भू–स्वामियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित करने के लिए 05.02.2019 को एक वेब पोर्टल लांच किया गया। जीआईएस प्लेटफार्म पर पूल्ड भूमि के मैपिंग का आन्तरिक कार्य प्रगतिधीन है।

- अर्हता के समीप के क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए 15 फरवरी, 2020 तक प्राथमिक मॉडल सेक्टरों के लिए सार्वजनिक सूचना तैयार करने सहित रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले लैंड पूलिंग पोर्टल को पुनः शुरू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।
- अनुमानतः कुल 6574.8 हेक्टेयर भूमि पूल की गई।
- सिंगल विंडो सिस्टम का विकास।
- सैम्पल सैक्टर लेआऊट प्लान को अपलोड करना।
- योजना विभाग की जीआईएस यूनिट द्वारा जोन एन के लैंड पूलिंग सैक्टरों 11, 17, 18, 19, 20, 21 की मैपिंग और जोन पी–II के सैक्टर 2 की जीआईएस मैपिंग पूरी कर ली गई और आम जनता की जानकारी के लिए दि.वि.प्रा. के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई।

4.1.4 जीआईएस यूनिट

लैंड पूलिंग स्कीम में भाग लेने वाले आवेदनों की मैपिंग और जियो–डाटाबेस तैयार करना

लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भागीदारी हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए शुरू किए वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के लिए जियो डाटाबेस तैयार करना और जीआईएस मानचित्र तैयार करने का कार्य प्रगतिधीन है।

एनसीजैड सीमाओं का परिसीमन:

एनसीजैड क्षेत्रों की गणना और एनसीजैड पॉकेटो का सीमाकंन पूरा हो चुका है।

4.1.5 एमपीएमआर एवं एनसीआर यूनिट

- **दिल्ली मुख्य योजना – 2041**

''एक सुगम कार्यनीतिक योजना और अन्य संबंधित नीतियों/योजनाओं के रूप में दिल्ली मुख्य योजना–2041 को तैयार करने हेतु सहयोग'' के लिए एनआईयूए के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, दि.मु.यो.–2041 की तैयारी की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस अवधि के दौरान आयुक्त (योजना) की अध्यक्षता में 16 कार्रवाई समितियाँ, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में छह (6) समीक्षा समितियाँ, माननीय उप राज्यपाल दिल्ली, की अध्यक्षता में 4 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

- **सूचना के प्रसार हेतु दि.मु.यो. – 2041 के लिए दि.वि.प्रा. वेबसाइट शुरू की गई।**

दि.वि.प्रा. में इन्टरैक्टिव वेबसाइट के माध्यम से एक सुदृढ़ नागरिक परामर्श तंत्र बनाया जा रहा है। दि.मु.यो –2041 के लिए प्रश्नो/अवलोकनों और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दि.वि.प्रा. वेबसाइट (dda.org.in) पर एक पोर्टल शुरू किया गया है।

- **दिल्ली के लिए जीआईएस आधारित मैपिंग**

अगली मुख्य योजना की तैयारी की प्रक्रिया के भाग के रूप में, दि.वि.प्रा. शहर में मौजूदा भूमि उपयोग और बिल्डिंग उपयोग की विस्तृत एयरक्राफ्ट/यूएवी (ड्रोन) कैप्चर्ड एलआईडीएआर/आर्थो इमेज के आधार पर जीआईएस मैपिंग शुरू करना चाहता है, इसके लिए आरएफपी दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

- **आईआईटी रूड़की के साथ समझौता ज्ञापन**

जोन एन (एरियल मैपिंग को छोड़कर), जोन –जे, जोन –पी –I एवं जोन पी–II के लिए ड्रोन सर्वे और फील्ड सर्वे तथा जीआईएस टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण पर मास्टर परामर्श दाता के संबंध में समझौता ज्ञापन आईआईटी रूड़की के साथ समझौता ज्ञापन। ड्रोन सर्वे और क्षमता निर्माण के संबंध में 08/02/2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए आईआईटी रुड़की को अवार्ड लेटर जारी किया गया।

- **दि.मु.यो. 2041 का अध्याय विभाजनः**

21वीं कार्रवाई समिति बैठक में एनआईयूए द्वारा दस्तावेज की निम्नलिखित संरचना पर सुझाव दिए गएः

वाल्यूम 1: दिल्ली का नवपरिवर्तनः विजन 2041

वाल्यूम 2: दिल्ली की स्थान संबंधी विकास कार्यनीति

भाग 1: ग्रीन फील्ड विकास हेतु कार्यनीति

भाग 2: शहरी रिजनरेशन हेतु कार्यनीति

वाल्यूम 3: नीति फ्रेमवर्क और कार्रवाई योजना को सुगम बनाना

भाग 1: नीति फ्रेमवर्क

भाग 2: कार्रवाई योजना

4.1.6. भवन अनुभाग

ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट (01–अप्रैल–19 से 31–मार्च–2020)

कार्यविधि	प्राप्त	अनुमोदित
संस्वीकृत	1033	868
समापन	126	93
प्लिंथ	27	18
सरल	118	118

4.2 वास्तुकला

पश्चिम जोन और द्वारका / एचयूपीडब्ल्यू

क्र सं.	योजना / परियोजना	उपलब्धि
	आवास	
1.	एचआईजी बहु मंजिला आवास, सेक्टर 19–बी, द्वारका में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित	समापन स्तर पर

2.	पॉकेट-2, सेक्टर-16 बी द्वारका से सटे हुए 346 बहुमंजिला दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट।	समापन स्तर पर
3.	पॉकेट-3, सेक्टर-19बी, द्वारका फेज - II से सटे हुए 352 बहु मंजिला दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट का निर्माण।	समापन स्तर पर
4.	पॉकेट-5, सेक्टर-14, द्वारका में 1568 आवासीय इकाईयों श्रेणी - II (312 आवासीय इकाइयां 2 बीएचके 288 आवासीय इकाइयाँ 1 बीएचके) और 968 ईडब्ल्यूएस एम.एस कम्पोजिट	निर्माणाधीन
5.	मंगलापुरी में 273 एकीकृत आवास	समापन स्तर पर
6.	लोकनायकपुरम बक्करवाला में पॉकेट ई में 821 बहु मंजिला आवास (600 दो बेडरूम एवं 221 ईडब्ल्यूएस आवास) का निर्माण	निर्माणाधीन, नमूना प्लैट तैयार।
	व्यावसायिक	
7.	सेक्टर 23, द्वारका में सामुदायिक केंद्र	एससीएम में अनुमोदन
8.	सेक्टर 10, द्वारका में सामुदायिक केंद्र	एससीएम में अनुमोदन
9.	सेक्टर 10 एवं 11 द्वारका में प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं/स्मार्ट हब से द्वारका स्थित दि.वि.प्रा. की खाली भूमि पर शहर के उच्च सघनता वाले मिश्रित उपयोग आर्थिक/व्यावसायिक/आवासीय हब के विकास के लिए कंसल्टेंसी	आरएफपी दस्तावेजों को तैयार करना। परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
10.	ए ब्लॉक, पश्चिम विहार में सिनेमा प्लॉट सी.सी. के वास्तु नियंत्रण में संशोधन	एससीएम में अनुमोदन
11.	डीडीए जोनल कार्यालय भवन सहित एलएससी नंबर 2, सेक्टर 10, द्वारका	एससीएम में अनुमोदन

उत्तरी जोन और नरेला / एचयूपीडब्ल्यू

क्र. सं.	व्यावसायिक परियोजनाएं	वर्ष 2019-2020 के लिए उपलब्धि
1	पैदल यात्री सबवे, जिला केंद्र नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर के लिए डीएमआरसी को स्थायी आधार पर भूमि का आवंटन	375वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
2	आईडीपीएल सोसाइटी, पीतमपुरा के पीछे खाली पड़ी जमीन की अनुमोदित विकास योजना में 12 आवासीय प्लॉट और सीएससी प्लॉट के लेआउट में संशोधन	375वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
3	जिला केंद्र नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, व्यावसायिक प्लॉट जी-1, जी-2 और जी-4 का निपटान	380वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
4	स्थानीय बाजार केंद्र, पीतमपुरा में नर्सिंग होम के रूप में चिन्हित प्लॉट से. 6 के उपयोग परिसर का व्यावसायिक में परिवर्तन	378वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
5	स्थानीय बाजार केन्द्र, पॉकेट सी-7, लारेंस रोड में बैंक के रूप में चिन्हित प्लॉट सं. 6 उपयोग परिसर का व्यावसायिक में परिवर्तन	378वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
6	सुविधा बाजार केन्द्र, ब्लॉक बी एवं सी, केमिकल ट्रेडर्स, आईएफसी नरेला के पुनः अवस्थापन हेतु कम्पोजिट लेआउट प्लॉन	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
7	सुविधा बाजार केन्द्र, पॉकेट IV (पॉकेट-VI के सामने) सेक्टर - जी 7- जी 8, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
8	स्थानीय बाजार केन्द्र, पॉकेट-IV जी 7 - जी 8, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
9	सुविधा बाजार केन्द्र, पॉकेट IV (पॉकेट V के सामने), सेक्टर जी 7 - जी 8, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
10	स्थानीय बाजार केन्द्र, पॉकेट-5, सेक्टर जी 7 - जी 8, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
11	हाउसिंग पॉकेट-6 के सामने स्थानीय बाजार केन्द्र, सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
12	हाउसिंग पॉकेट-9 के साथ स्थानीय बाजार केन्द्र, सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
13	हाउसिंग पॉकेट-3 के साथ स्थानीय बाजार केन्द्र, सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
14	हाउसिंग पॉकेट-1 सी के सामने स्थानीय बाजार केन्द्र, सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
15	ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स का वाल्ड सिटी क्षेत्र से आईएफसी नरेला में पुनःअवस्थापन के लिए आबंटित किए जाने वाले प्लाटों के लेआउट प्लान में एलएससी स्थल	368वीं एससीएम में योजना अनुमोदित
सामुदायिक सुविधाएं		
1	सिरसपुर, नरेला में 4740 ईडब्ल्यूएस आवास की अनुमोदित लेआउट योजना में सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान	375वीं एससीएम में योजना को अनुमोदित किया गया।

दक्षिण क्षेत्र/एचयूपीडब्ल्यू

क्र. सं.	व्यावसायिक परियोजनाएं	वर्ष 2019-2020 के लिए उपलब्धि
1	डी-6, वसंत कुंज के पीछे मेगा हाउसिंग	परियोजना पूर्ण
2	वंसत लोक में सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण	परियोजना पूर्ण
3	महिपालपुर में कम्युनिटी हॉल	373वीं एससीएम में अनुमोदित
4	महरौली महिपालपुर रोड पर बड़ी संख्या में आवास	परियोजना पूर्ण
5	महरौली महिपालपुर रोड पर डीडीए आवास परिसर, वसंत कुंज स्थित सामुदायिक कक्ष	380वीं एससीएम में अनुमोदित
6	नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल कार पार्किंग	370वीं एससीएम में अनुमोदित

7	भीकाजी कामा प्लेस में मल्टी–लेवल कार पार्किंग	371वीं एससीएम में अनुमोदित
8	मजदूर कल्याण विहार, ओखला का स्व–स्थाने पुनर्वास	377वीं एससीएम में अनुमोदित
9	इंदिरा कल्याण विहार, ओखला का स्व–स्थाने पुनर्वास	377वीं एससीएम में अनुमोदित
10	इंदिरा गोलाकुआं, ओखला स्व–स्थाने पुनर्वास	377वीं एससीएम में अनुमोदित
11	जे जे बंधु कैंप, वसंत कुंज का स्व–स्थाने पुनर्वास	377वीं एससीएम में अनुमोदित

खेल/एचयूपीडब्ल्यू

क्र. सं.	योजना/परियोजना	वर्ष 2019–2020 के लिए उपलब्धि
1	खेल पसिर, सेक्टर–14, रोहिणी में मल्टीजिम, स्वीमिंग पूल के पीछे कार पार्किंग, मिनी टेनिस कोर्ट, ढलाव का विस्तार और योगा शेड का विस्तार	372वें एससीएम में वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रस्ताव अनुमोदित।
2	सुल्तानपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	372वें एससीएम में वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रस्ताव अनुमोदित।
3	महाराज सूरजमल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नांगलोई	372वें एससीएम में वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रस्ताव अनुमोदित।
4	सुखदेव विहार में फुटबॉल का मैदान	374वें एससीएम में डिजाइन प्रस्ताव अनुमोदित।

रोहिणी जोन/एचयूपीडब्ल्यू

आवास

1	सेक्टर–19 रोहिणी में स्लम और जेजे क्लस्टर का स्व–स्थाने पुनर्वास	स्क्रीनिंग कमेटी में प्रस्ताव अनुमोदित
2	सूरज पार्क और ब्लॉक–ई एंड एफ, सेक्टर–18, रोहिणी में झुग्गी और जेजे क्लस्टर का स्व–स्थाने पुनर्वास	स्क्रीनिंग कमेटी में प्रस्ताव अनुमोदित
3	सेक्टर–29, रोहिणी, फेज–4 में समूह आवास, पॉकेट जीएच–2	स्क्रीनिंग कमेटी में प्रस्ताव अनुमोदित
4	सेक्टर–29, रोहिणी में समूह आवास, पॉक़ेट जीएच–3	एससीएम में योजना अनुमोदित
5	सेक्टर–11, (एक्सटेंशन) रोहिणी में समूह आवास	एससीएम में योजना अनुमोदित

सामाजिक–सांस्कृतिक/एचयूपीडब्ल्यू

1	दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल (अस्थायी) प्लॉट नं. 02 सब–सी.बी.डी., शाहदरा	371वीं एससीएम में अनुमोदित
2	दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल (अस्थायी) डिस्ट्रिक सेंटर, सेक्टर–24, रोहिणी	371वीं एससीएम में अनुमोदित
3	सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–10 द्वारका में दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल (अस्थायी)	372वीं एससीएम में अनुमोदित
4	सामुदायिक केन्द्र में दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल (अस्थायी), मदनगीर, विराट सिनेमा दक्षिणपुरी के निकट दक्षिणपुरी और एक्सटेंशन की कम्पोजिट योजना	373वीं एससीएम में अनुमोदित
5	योजना जोन सी में निरंकारी मंडल के सामने धीरपुर फेज – II में दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल 04 (अस्थायी)	375वीं एससीएम में अनुमोदित
6	सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–7, रोहिणी, फेज – I एवं II में दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल (अस्थायी)	375वीं एससीएम में अनुमोदित
7	आई.पी. एक्सटेंशन में दि.वि.प्रा. उत्सव स्थल (अस्थायी)	377वीं एससीएम में अनुमोदित

पूर्वी ज़ोन/एचयूपीडब्ल्यू

1	गाजीपुर नाले के साथ चिल्ला गांव में 2 बीएचके आवास	योजना स्क्रीनिंग कमिटी, डीएफएस एवं डीयूएसी द्वारा अनुमोदित
2	औद्योगिक क्षेत्र, दिलशाद गार्डन, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा	एससीएम में प्रस्ताव अनुमोदित
3	गाजीपुर स्थित ऑटोमोबाइल सर्विस एवं ट्रेनिंग सेंटर में मल्टी–लेवल पार्किंग	एससीएम में प्रस्ताव अनुमोदित
4	स्व–स्थाने, दिलशाद गार्डन	एससीएम में योजना अनुमोदित
5	कड़कड़डूमा में पूर्वी दिल्ली हब	एनबीसीसी द्वारा अवधारणागत डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया, एससीएम में अनुमोदित
6	डिस्ट्रिक सेंटर, लक्ष्मी नगर में फुट–ओवर ब्रिज	एससीएम में अवधारणागत डिज़ाइन अनुमोदित।
7	मंडावली में दि.वि.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय	डिज़ाइन और निर्माण हेतु अवधारणागत योजना एससीएम में अनुमोदित

8	सुखदेव विहार में खेल-मैदान	एससीएम में अनुमोदित
9	दिलशाद गार्डन में खेल-मैदान	एससीएम में अनुमोदित
10	डिस्ट्रिक सेंटर, मयूर विहार	एससीएम में अनुमोदित

शहरी पार्क एवं डीयूएचएफ/एचयूपीडब्ल्यू

महरौली पुरातात्विक पार्क	महरौली पुरातात्विक पार्क-व्यापक संरक्षण प्रबंधन योजना दिनांक 20.03.2020 को एससीएम में अनुमोदित
सेक्टर-23, द्वारका में खेल परिसर	दिनांक 27.09.2019 को अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र। खेल परिसर की वर्किंग ड्राइंग का कार्य प्रगतिधीन है
ए-7, नरेला में खेल परिसर	दिनांक 30.09.2019 को अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र। खेल परिसर की वर्किंग ड्राइंग का कार्य प्रगतिधीन है

4.3 भू-दृश्यांकन एवं पर्यावरणीय योजना विभाग

1497 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैली दिल्ली देश के हरित महानगरों में से एक है। इस शहर ने हाल ही में अपने खुले स्थलों पर बढ़ते हुए बोझ के साथ आश्चर्यजनक विकास किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भारत में पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, जिसने क्षेत्रीय पार्कों, जैव-वैविध्य उद्यानों, जिला पार्कों, हरित पट्टी, समीपवर्ती हरित क्षेत्रों इत्यादि के रूप में खुले स्थलों के विकास के लिए अपने सचेतन प्रयासों के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास एवं रख-रखाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में, दि.वि.प्रा. के 783से अधिक पार्क, 7 जैव वैविध्य उद्यान और कुछ वन क्षेत्र है। दि.वि.प्रा. ने पार्कों को क, ख और ग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। श्रेणी 'क' पार्क विश्व के श्रेष्ठ पार्कों के तुल्य हैं।

जैव वैविध्य उद्यानों को प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यायाम, पर्यटन और मनोरंजन के लिए विकसित किया गया है। इस अवधि के दौरान, यह भी प्रस्तावित है कि यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र को वेटलैंड के रूप विकसित किया जाए, जिसके लिए कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

यमुना जैव-वैविध्य पार्क में नाचता हुआ मोर

यमुना बाढ़ क्षेत्रों में पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों के लिए भी योजना बनायी गई है।

1 जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2019 तक शुरू की गई परियोजनाएं

- हरित क्षेत्रों में नई पहल।
- हस्तसाल में शमशान-घाट के सामने हरित-क्षेत्र के लिए भू-दृश्यांकन योजना।
- राष्ट्रमंडल खेल गांव के लिए विस्तृत वर्किंग ड्रांइग्स।
- आईटीओ से एनएच 24 के मध्य वाले क्षेत्र हेतु संकल्पनात्मक विकास।

अरावली जैव-वैविध्य पार्क में सियार

- बारापुला नाले और डीएनडी फ्लाईओवर के मध्य वाले क्षेत्र के लिए पौधारोपण हेतु वर्किंग ड्राईंग्स।
- ऑन-साइट समन्वय एक विशेष परियोजना होगी तथा वसंत उद्यान के लिए संशोधित नक्शे तैयार करना।
- दि.वि.प्रा. परियोजना पर स्टेकहोल्डर्स और विभिन्न विशेषज्ञों के लिए सेमिनार का आयोजन : यमुना नदी बाढ़ क्षेत्रों का पुनर्स्थापन और नवीकरण।
  - इनवाइट्स का डिज़ाइन।
  - बैनर का डिज़ाइन।
  - कार्य का समन्वयन।
  - यमुना नदी बाढ़ क्षेत्रों पर चल रहे कार्य का दि.वि.प्रा. का प्रस्तुतिकरण।
  - सेमिनार सारांश तैयार करना और विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियाँ तथा दि.वि.प्रा. द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- सामुदायिक पार्क, पश्चिम विहार का उन्नयन।
- सैलवेज पार्क, मायापुरी की संकल्पनात्मक योजना।
- विवेक विहार में चिल्ड्रन पार्क।

- जी डी राठी मिल्स द्वारा सौंपी गई हरित भूमि।
- शीश महल, शालीमार बाग के हरित क्षेत्र का उन्नयन – सभी नक्शे जारी।
- सौंपी गई भूमि के लिए संकल्पनात्मक भू–दृश्यांकन लेआउट योजना नांगलोई स्थित हरित क्षेत्र।
- फेज–V, मुंडका किरारी के हरित क्षेत्र हेतु संकल्पनात्मक भू–दृश्यांकन लेआउट योजना
- वसंत लोक और वसंत उद्यान पार्क से सटे हरित क्षेत्र – वर्किंग ड्राइंगे और अनुमान का समन्वयन।
- बी–5/6, वसंत कुंज स्थित हरित क्षेत्र – वर्किंग ड्राइंग्स
- मंदाकिनी एन्कलेव स्थित हरित क्षेत्र हेतु संकल्पनात्मक उन्नयन प्रस्ताव।
- हौज खास स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में मल्टी जिम का पुनर्निर्माण – साइट का विश्लेषण तथा संकल्पनात्मक प्रस्ताव तैयार करना।
- हौज खास स्थित झील के किनारे को सक्रिय करना – प्रस्तुतिकरण रिपोर्ट तैयार करना और अनुमान हेतु ड्राइंग्स जारी करना।
- **स्वर्ण जयंती पार्क:** ऑन–साइट क्षेत्रों में पुनःपौधारोपण के लिए समन्वय तथा मौजूदा चार संरचनाओं के पुनः उपयोग की पहचान।
- सेक्टर–5, द्वारका स्थित साइकिल पार्क– संकल्पनात्मक ड्राइंग तैयार करना तथा बिजनेस मॉडल के लिए सलाहकार के साथ समन्वय करना।
- दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों का विवरण

  फ्लैग पोस्ट

  किओस्क

  रेस्तरां

  स्केटिंग रिंक

वसंत उद्यान: वर्किंग ड्राइंग्स तथा साइट समन्वय।

संजय झील: संशोधित ड्राइंग्स तैयार करना तथा फेज I एवं II का ऑन–साइट समन्वयन।

राष्ट्रमंडल खेल: गांव के समीप हरित क्षेत्र ऑनसाइट कार्य के लिए वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करना।

थेरेपी पार्क: स्थल विश्लेषण तथा स्क्रीनिंग समिति के अनुमोदन के लिए अवधारणा प्रस्ताव।

सेक्टर–23 द्वारका स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क: वर्किंग ड्राइंगों का अंतिम सेट।

- पार्क को गोद (एडॉप्ट) लेना:
  - सभी पुराने और नए मामलो की जांच की गई और इसे व्यवस्थित प्रारूप में तालिकाबद्ध किया गया।
  - सभी मौजूदा मामलों की समय–सीमा विस्तार और अनुमोदन के लिए जांच की गई।
  - प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली चार विभिन्न स्कीमों के विकल्प के साथ नीति को संशोधित किया गया।

यमुना नदी मुहाना परियोजना

- पुराने रेलवे ब्रिज से आईटीओ बैराज (पूर्वी तट) (अस्ता) तक वाले क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्य–निर्माण के अनुकूल ड्राइंग जारी करना। भूमि संबंधी मामलों पर यूपी सिंचाई विभाग के साथ समन्वय।
- एन एच 24 से डी एन डी फ्लाईओवर (पश्चिमी तट) पार्ट, क्षेत्र–I तक वाले क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्य–निर्माण के अनुकूल ड्राइंग्स जारी करना। वैटलैंड विशेषज्ञ के साथ समन्वय।
- आईटीओ बैरेज से एनएच–24, राष्ट्रमंडल खेल गांव (पूर्वी तट) तक क्षेत्र के लिए अनुमान प्रयोजन ड्राइंग जारी किए।
- डीएनडी से प्रस्तावित कालिंदी बाई–पास (पश्चिमी तट) तक क्षेत्र के लिए खिजराबाद – कार्य सीईएमडीई को सुपुर्द। सीईएमडीई के साथ समन्वय।
- एनएच 24 से डीएनडी फ्लाईओवर (पूर्वी तट) तक वाले क्षेत्र के लिए – कार्य सीईएमडीई को सुपुर्द। सीईएमडीई के साथ समन्वय।
- वजीराबाद से पुराने रेलवे ब्रिज (पश्चिमी तट) तक क्षेत्र के लिए, माननीय एनजीटी द्वारा गठित प्रधान समिति की सिफारिशों के अनुसार घाट क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए इनटैक के साथ समन्वय।
- स्टेकहोल्डर्स और इनटैक सहित विभिन्न विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण समिति के निदेशों के अनुसार घाट क्षेत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषता के पुनरुत्थान के संबंध में एक सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

यमुना जैव–वैविध्य में प्रवासी पक्षी

उत्तरी रिज

- साइट पर बंदर का खतरा, शौचालय सुविधा का प्रावधान, सुरक्षा, स्थल पर मौजूदा 15 स्थानीय क्लबों का संगठन जैसे विभिन्न मामलों की पहचान करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया।
- मौजूदा विरासत संरचनाओं के एकीकरण की संकल्पना।
- मलवे के निपटान तथा सतही जल-ग्रहण की प्रणाली की संकल्पना।
- विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद फ्लैग स्टाफ टॉवर तथा सिक्किम पुलिस क्षेत्र का पुनः उपयोग।

तिलपथ घाटी जैव - वैविध्य उद्यान

- पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन गतिविधि के लिए प्रवेश क्षेत्र की संकल्पना।

तुगलगाबाद जैव - वैविध्य उद्यान

- तुगलगाबाद जैव - वैविध्य उद्यान स्थित निर्मित वेटलैंड की संकल्पना।
- स्थल कार्यालय संरचना का समन्वय, डिज़ाइन और निरीक्षण।
- जैव-वैविध्य उद्यान से संबंधित वेबसाइट बनाने के लिए समन्वय।

अन्य गतिविधियाँ

- अपर आयुक्त (एलएस) जैव वैविध्य संस्था के सचिव सदस्य है।
- भारत वंदना पार्क को एनबीसीसी, एसी (एलएस), नोडल अधिकारी को सुपुर्द किया गया।
- निदेशक (एलएस) पार्क गोद लेना स्कीम तथा स्टेट नेमिंग अथॉरिटी के सचिव सदस्य हैं।
- प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि के प्रस्ताव से संबंधित अनुरोध पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।
- डिज़ाइन सार तैयार करना तथा हरित क्षेत्रों में रेस्तरां के लिए विद्यार्थी डिज़ाइन प्रतियोगिता हेतु समन्वय करना।
- मूर्तिकार और स्ट्रीट आर्ट कलाकार के साथ सार्वजनिक कला समन्वय।
- उद्यान संबंधी कार्य के सुधार हेतु सेमिनार का आयोजन।

श्री तरुन कपूर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. दिल्ली को हरी-भरी बनाने हेतु आयोजित सेमिनार में भाग लेते हुए।

इंजीनियरिंग एवं निर्माण गतिविधियाँ

5.1 आवास

इस अवधि के दौरान, आवासीय ईकाइयाँ कंवेंशनल पद्धति और साथ ही प्रीफैब प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न ज़ोनों, जैसे, पूर्वी ज़ोनो, द्वारका, उत्तरी ज़ोन, दक्षिणी ज़ोन, परियोजना ज़ोन तथा रोहिणी ज़ोन, में निर्माणाधीन थी।

क्र. सं.	विवरण	एसएफएस/ एचआईजी	एमआईजी	एलआईजी	ईडब्ल्यूएस/ जनता	कुल	टिप्पणियाँ
1	प्रगतिधीन	4687	8879	28379	25721	67666	
क)	31.03.19 तक निर्मित आवास	488	1555	8383	7496	17922	दि.वि.प्रा. आवास योजना, 2019 का भाग
ख)	31.03.2021 तक आवासों के पूरा होने की संभावना	4199	7324	19996	18225	49744	

सामुदायिक हॉलः

दि.वि.प्रा. ने जनता के लाभ हेतु सामुदायिक हॉल के निर्माण का कार्य बड़े स्तर पर शुरू किया हैः–

अभी तक निर्मित सामुदायिक हॉल	– 106
प्रगतिधीन सामुदायिक हॉल	– 15
योजना स्तर के अधीन सामुदायिक हॉल	– 20
संकल्पनात्मक स्तर पर सामुदायिक हॉल	– 10

इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवनों के इष्टतम उपयोग को सुगम बनाने और इसे आम जनता हेतु अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामुदायिक भवन के एक हिस्से को निजी संस्थाओं को अनुमति देकर अनेक अनुमत गतिविधियों जैसे उपकरणों के साथ जिम की सुविधा और कैफेटेरिया/डाइनिंग से जुड़े एक किचन को सामुदायिक भवन स्थल के भीतर जोड़ा गया है। आरडब्ल्यूए को सामुदायिक भवनों को चलाने और नीति में परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मौजूदा व्यावसायिक केंद्रों का नवीनीकरणः

तीन व्यावसायिक केंद्रों–नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस और बसंत लोक व्यावसायिक केंद्रों को नवीनीकृत करने के लिए चिह्नित किया गया है। इस परियोजना में बाजार, पीयाजाओं और अन्य, सुख–सुविधाओं का अपग्रेडेशन और सुधार शामिल है। नवीकरण के भाग के रूप में नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस स्थित मल्टीलेवल पार्किंग सुविधाएं प्रदान करने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त नवीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विकल्पों के सुझाव के लिए वास्तुकला विंग द्वारा राजेंद्र प्लेस स्थित अन्य वाणिज्यिक केंद्र का कार्य शुरू किया गया है।

(i) नेहरू प्लेस जिला केंद्र का नवीकरण

- अनुमान अनुमोदन समिति (ईएसी) द्वारा 182.59 करोड़ रू का अनुमान अनुमोदित किया गया।
- दि.वि.प्रा., एसडीएमसी और मार्केट एसोसिएशन के मध्य, त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित किया गया।
- **समयसीमाः–** कार्य प्रगति पर है। समापन की संभावित तिथि 10.07.2021 है।

(ii) भीकाजी कामा प्लेस का नवीकरण

- अनुमान अनुमोदन समिति द्वारा 16.10.2018 को 87.74 करोड़ रु. का अनुमान अनुमोदित किया गया।
- दि.वि.प्रा., एसडीएमसी और मार्केट एसोसिएशन के मध्य, त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित किया गया।
- **समयसीमाः–** कार्य प्रगति पर है। समापन की संभावित तिथि 10.07.2021 है।

बसंत लोक स्थित सामुदायिक केन्द्र का अपग्रेडेशन

निम्नलिखित अपग्रेडेशन कार्य पूरे किए गए:

- ग्रेनाइट फ्लोरिंग (कोबल्ड / फ्लेन्ड / पोलिश्ड) के साथ पियाजा का निर्माण।
- एम्पीथियेटर का विकास।
- परिधीय सड़क
- पार्किंग क्षेत्रों में इन्टरलॉकिंग अवेर ब्लॉक बिछाना।
- वर्षा जल संचयन चेम्बर का निर्माण।
- 120 वाट एलईडी फिटिंग के साथ 11.0 मी. स्ट्रीट लाइट पोल (परिधीय सड़क पर)।
- 60 वाट एलईडी फिटिंग के साथ 8.0 मी. स्ट्रीट लाइट पोल (पार्किंग क्षेत्र)।
- 40 वाट एलईडी फिटिंग के साथ 3.5 मी. आर्नामेंटल पोल (पियाजा)।

- विशेषताओं को हाई लाईट करने के लिए लैंडस्केप लाइटिंग।
- भूमिगत ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण।
- यार्ड हाइड्रेंट (अग्निशमन यंत्र) को बिछाना।
- पहुंच संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ''समर्थयम्'' एनजीओ द्वारा यथा संस्तुत दिव्यांग अनुकूल टॉयलेट ब्लॉक, रैम्प का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य।
- पूरे एम्पीथियेटर को कवर करने वाले टेनसाइल स्ट्रक्चर बनाना।
- उक्त उल्लिखित निर्माण कार्यों के निष्पादन के पश्चात् बसंत लोक सामुदायिक केन्द्र का उद्घाटन औपचारिक रूप से 05.03.2019 को किया गया।

सामाजिक - सांस्कृतिक केन्द्र

दि.वि.प्रा., दिल्ली के विभिन्न भागों में निम्नलिखित सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण की योजना बना रहा है और इनके 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

सेक्टर-10, रोहिणी में सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र

(प्लॉट का क्षेत्रफल 44,978 वर्ग मी.)

सीबीडी शाहदरा में सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र

(प्लॉट का क्षेत्रफल 6,070 वर्ग मी.)

मयूर विहार जिला केन्द्र स्थित सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र

(प्लॉट का क्षेत्रफल 8,220 वर्ग मी.)

स्लम निवासियों का पुनर्वास

स्वस्थाने पुनर्वास हेतु निम्नलिखित परियोजनाएँ जारी हैं।

कालकाजी एक्सटेंशन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 3024 आवासीय इकाइयाँः- यह कार्य दिनांक 31.12.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

जेलरवाला बाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 1675 आवासीय इकाइयाँः- यह कार्य दिनांक 31.07.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

कठपुतली कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2800 आवासीय इकाइयाँ :- यह कार्य 30.06.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

शहरी विस्तार सड़केंः-

दिल्ली मुख्य योजना - 2021 में तीन शहरी विस्तार सड़कें नामतः शहरी विस्तार सड़क-I, शहरी विस्तार सड़क-II, शहरी विस्तार सड़क-III को प्रस्तावित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के ट्रैफिक की भीड़-भाड़ को कम करने हेतु दिल्ली से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ना था।

त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी/एसटीएफ)

दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण की निगरानी करने और दि.वि.प्रा. के भूमि प्रबंधन शाखा के सहयोग से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने हेतु सभी जोनो में सहायक अभियंताओं की अध्यक्षता में क्यूआरटी का गठन किया गया है। खाली पड़े प्लाटों के फोटो भी मासिक आधार पर अपलोड किए जा रहे हैं। दि.वि.प्रा. के सभी खाली प्लाटों पर फेंसिंग बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है और संकेतक लगाए गए, जो यह दर्शाते है कि यह भूमि दि.वि.प्रा. की है। अधिशासी अभियंता क्यूआरटी, जो प्रत्येक जोन में विशेष कार्य दल (एसटीएफ) के प्रमुख होते हैं, अतिक्रम की पहचान करने और उसके समय पर हटाने हेतु सहायक अभियंताओं (क्यूआरटी) के समन्वय के साथ कार्य तक रहे हैं। सभी रिक्त भूमियों की स्थिति का विवरण भी दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रव्यापी प्रमुख्य अभियान है। पूरे देश में दिव्यांगों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु सभी सार्वजनिक भवनों को अवरोध मुक्त बनाया जाना है।

इस संबंध में, सुगम्यता सुनिश्चित करने हेतु दि.वि.प्रा. के निम्नलिखित भवनों को चिह्नित किया गया हैः-

- विकास सदन, दि.वि.प्रा. मुख्यालय, आईएनए
- विकास मीनार, दि.वि.प्रा. कार्यालय भवन, आईटीओ
- रोहिणी कार्यालय परिसर, मधुबन चौक
- एचआरडी सेंटर, वसंत कुंज
- द्वारका दि.वि.प्रा. कार्यालय, मंगलापुरी

सेक्टर-8, द्वारका में दक्षिण पश्चिमी नाले का निर्माण

इस नाले का निर्माण आईजीआई एयरपोर्ट के अपशिष्ट (डिस्चार्ज) को एकत्रित करने हेतु किया गया है। यह कार्य फरवरी 2020 को सौंपा गया है।

छत पर सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करनाः-

रेस्को आधार पर मधुबन चौक (रोहिणी जोन) में स्थित दि.वि.प्रा. भवन में।

रेस्को आधार पर सिरी फोर्ट खेल परिसर में।

रेस्को आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में।

निम्नलिखित भवनों की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने हेतु दि.वि.प्रा. और एसईसीआई द्वारा चुने गए विक्रेताओं के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैः-

i) सिरी फोर्ट खेल परिसर - 1000 केडब्ल्यूपी

ii) राष्ट्रमंडल खेल गाँव खेल परिसर - 350 केडब्ल्यूपी

नवीनीकरण कार्यों में निर्माण और तोड़-फोड़ के मलबे (सी एवं डी अपशिष्ट) का उपयोग और सी एवं डी अपशिष्ट की प्रोसेसिंग/रिसाइक्लिंग।

नवीनीकरण कार्यों में निर्माण और तोड़-फोड़ के मलबे (सी एवं डी अपशिष्ट)का उपयोग और सी एवं डी अपशिष्ट की प्रोसेसिंग/रिसाइक्लिंग पहले से ही विभिन्न निर्माण स्थलों पर, सी एवं डी अपशिष्ट का प्रयोग करके, किया जा रहा है।

यमुना नदी मुहाने पर कार्यः-

दि.वि.प्रा. ने जगतपुरा गाँव में यमुना नदी के मुहाने और यमुना जैव-वैविध्य पार्क के विकास हेतु कार्य शुरू कर दिया है। जनता को नदी से जोड़ने हेतु नदी के मुहाने को यमुना में प्रदूषण खत्म करने और इसके विकास से मनोरंजनात्मक सुविधाएं और जनता को ताजी हवा प्रदान करने हेतु फेफड़ों की तरह कार्य करने की सुविधाएँ प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य के साथ विकसित करना परिकल्पित किया गया है।

लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दो स्तरीय पार्किंग का निर्माण

प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई। एनआईटी की प्रक्रिया चल रही है और कार्य जून 2020 से शुरू होगा।

कार्यालय परिसर का निर्माणः–

दि.वि.प्रा. द्वारा दक्षिणी, पूर्वी और द्वारका जोन में 3 कार्यालय परिसरों का निर्माण किया जाएगा।

विशेष परियोजनाएँः–

अरावली जैव–वैविध्य पार्क, वसंत विहार के उत्तर में।

दि.वि.प्रा. ने दक्षिण दिल्ली में रिज एवं पथरीले अवशेषों पर दूसरे जैव वैविध्य पार्क को विकास करने की योजना बनाई है। वसंत विहार के निकट, एक बड़े क्षेत्र जिसे सामान्यतः मुरादाबाद पहाड़ी एवं कुसुमपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, को दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श से अरावली जैव–वैविध्य पार्क के विकास हेतु चुना गया।

अरावली जैव–वैविध्य पार्क इस समय वसंत विहार एवं वसंत कुंज के बीच लगभग 690 एकड़ (277 हैक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थल के केन्द्र बिंदु से एक घना चट्टानी दृश्यांश फैला हुआ है। यह स्थल ऊबड़–खाबड़, असमतल एवं कीकर के पौधों से भरा हुआ है और यहाँ रिज पर झाड़ की पैदावार है।

कुछ विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के विकास कार्य को रिज प्रबंधन बोर्ड से अनापत्ति/एनओसी के प्राप्त होने के बाद ही आरंभ किया जाएगा।

सुल्तानगढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर, वसंतकुंज

सुल्तानगढ़ी मकबरा, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की मजार को वर्ष 1236 ईस्वी में महरौली–महिपालपुर रोड़ पर रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया था। स्मारक के आस–पास 25 हेक्टेयर (62 एकड़) के क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सुल्तानगढ़ी मकबरा हेरिटेज ज़ोन के अंतर्गत आता है और इसलिए वर्तमान में इसका रख–रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। पुरातत्व शाखा द्वारा विकास योजना तैयार की जा रही है और स्क्रीनिंग समिति द्वारा विधिवत् अनुमोदित विकास योजनाओं की प्राप्ति के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।

फुट ओवर ब्रिजः–

पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हेतु 4 फुट ओवर ब्रिजों (एफओबी) की आवश्यकता है। निर्माण किए जाने वाले फुट ओवर ब्रिजों का विवरण निम्नानुसार हैः

i. द्वारका सेक्टर–1 एवं सेक्टर 7 के चौराहे के निकट मुख्य योजना मार्ग संख्या 201 पर फुट ओवर ब्रिज।

ii. मधु विहार और द्वारका सेक्टर–4 में मुख्य योजना मार्ग संख्या 201 पर फुट ओवर ब्रिज।

iii. सुलहकुल मंदिर एनएसआईटी द्वारका के मुख्य योजना मार्ग संख्या 201 पर फुट ओवर ब्रिज।

iv. सरकारी अस्पताल सेक्टर–9 और द्वारका कोर्ट, सेक्टर–10 के निकट मुख्य योजना मार्ग संख्या 224 पर फुट ओवर ब्रिज।

द्वारका में ट्रंक ड्रेन सं. 2 और ट्रंक ड्रेन सं. 5 का विकास और पुनरुद्धार / कायाकल्प

नजूल खाता–II के अंतर्गत द्वारका में ट्रंक ड्रेन सं. 2 और ट्रंक ड्रेन सं. 5 का विकास और पुनरुद्धार/कायाकल्प तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21.06.2020 है। कार्य समाप्त करने का समय कार्य प्रदान होने की तिथि से 24 महीने है।

सेक्टर 5, द्वारका में स्थित नर्सरी में साइकिल पार्क

सेक्टर 5, द्वारका में स्थित नर्सरी में साइकिल पार्क। परियोजना को व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से चरणों में विकसित किया जाना है।

द्वारका में साइकिल मार्गः–

- संस्वीकृत राशि – 7.45 करोड़ रु.।
- साइकिल मार्गों की योजना तैयार करने और उन्हें स्थापित करने हेतु विस्तृत भूमि व्यवहार्यता देखी गई।
- सर्विस लेन पर साइकिल मार्ग की चौड़ाई (2.5 मीटर) प्रस्तावित है।
- प्रथम चरण में बनाए जाने वाले साइकिल मार्ग की लम्बाई 2.5 मीटर की चौड़ाई के साथ लगभग 16 कि.मी. है।
- सेक्टर–12 एवं 13 में मेट्रो कॉरिडोर के मार्ग में सुधार एवं साइकिल मार्ग बनाना।

दिल्ली साइकिल वॉक फेज–I

- दिल्ली की सड़कों से कुछ मिलियन कारों की सवारियों को कम करने और लोगों को सुरक्षित एवं प्रसन्नतापूर्व पैदल चलने और साइकिल चलाने के उद्देश्य से दिल्ली साइकिल वॉक परिकल्पित किया गया है।
- यह परियोजना दिनांक 21.10.2019 को आयोजित पीएससी द्वारा 550 करोड़ की राशि (80% यूडीएफ और 20% डीडीए) के साथ संस्वीकृत की गई है। जिसकी कुल लंबाई एलिवेट एवं ग्रेड सहित 36 कि.मी. है।

श्री हरदीप एस पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली और श्री तरुन कपूर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. लैंड पूलिंग के सम्मेलन में।

- यह तीन लाइनों में विभाजित है:
  1) नीलगाय लाइनः बदरपुर से मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक 20.5 कि.मी.।
  2) पीकॉक लाइनः मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से वसंत कुंज के मॉलों तक – 8.5 कि.मी.।
  3) बुलबुल लाइनः चिराग दिल्ली से नेहरू प्लेस और इस्कॉन मंदिर तक – 7.0 कि.मी.
- 2.4 मीटर चौड़े साइकिल मार्ग और 2.4 मीटर चौड़े पैदल मार्ग के साथ-साथ मूल गंतव्य प्लाजा, इंटरमीडिएट स्टेशन, लैंड ब्रिज और अन्य सहायक विकास कार्य।
- परियोजना के पूरा होने की समय अवधिः 4 वर्ष
- वर्तमान स्थितिः माननीय केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा दिनांक 06.01.2020 को आधारशिला रखी गई।
- डीयूएचएफ शाखा, दि.वि.प्रा. द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के लिए आर.एफ.पी. आरम्भ की गई।
- फेज-I अर्थात् नीलगाय लाइन का ग्रेड साइकिल वॉक (20.65 कि.मी.) के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया गया।

वसंत विहार में डिस्ट्रिक्ट पार्क का उन्नयन।

डिस्ट्रिक्ट पार्क वसंत विहार 43 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। हरित क्षेत्र वसंत लोक परिसर, वसंत विहार के समीप स्थित है।

तुगलकाबाद में एम्फीथिएटर का विकास

तुगलकाबाद में एम्फीथिएटर के विकास कार्य को वर्ष 2017 के दौरान शुरू किया गया और अब कार्य पूरा हो चुका है।

उत्सव पंडाल

उत्सव पंडाल का कार्य निम्नलिखित स्थानों पर हुआ:

द्वारका सेक्टर-10- कार्य सौंपा गया।

रोहिणी सेक्टर -24- कार्य सौंपा गया।

पूर्वी क्षेत्र सीबीडी ग्राउंड शाहदरा-कार्य सौंपा गया।

दक्षिणी जोन के अंतर्गत मदनगीर में 19600 वर्ग मीटर के प्लॉट को इस उद्देश्य हेतु चिह्नित किया गया है। यह योजना 373वीं स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अनुमोदित की गई है।

जे.जे. क्लस्टरों का स्वस्थाने पुनर्वास/पुनर्विकास

- दि.वि.प्रा. पीएमएवाई (शहरी) के वर्टिकल-I के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी है, अर्थात् पीपीपी मोड के अंतर्गत दिल्ली में केंद्र सरकार की एजेंसियों की भूमि और दि.वि.प्रा. की भूमि पर झुग्गियों का स्वस्थाने पुनर्वास।
- दि.वि.प्रा. ने व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर की तैयारी के लिए तकनीकी परामर्शदाता एवं लेनदेन सलाहकार के चयन हेतु प्रक्रिया शुरू की है।
- दिलशाद गार्डनः पीपीपी मोड़ के अंतर्गत इस परियोजना के विकास हेतु निविदा आमंत्रित की गई।
- पीतमपुरा, शालीमार बाग – आरएफपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- कालकाजी और कुसुमपुर पहाड़ी, वसंतकुंज के निकट – परामर्शदाता द्वारा डीपीआर और आरएफपी प्रस्तुत किए गए।
- सेक्टर 18, रोहिणी – एससीएम के अनुमोदन हेतु एजेंडा रखा गया है।
- सेक्टर 19, रोहिणी – डीपीआर प्रस्तुत किया गया।
- सेक्टर 20, रोहिणी – एससीएम के अनुमोदन हेतु एजेंडा रखा गया है।
- ओखला (03 परियोजनाएँ) – टीएसएस तैयार किया गया।

श्री हरदीप एस पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली और श्री तरुन कपूर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. रोहिणी में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला कार्यक्रम में भाग लेते हुए।

उद्यान – राजधानी को हरा-भरा बनाना

(1क) वृक्षारोपण

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियाँ			
		वृक्ष		झाड़ियाँ		वृक्ष		झाड़ियाँ	
		वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)
1	निदेशक (उद्यान) दक्षिण-पूर्व	1,06,490.00	1,59,73,500.00	73,700.00	55,27,500.00	73,253.00	1,09,87,950.00	95,626.00	71,71,950.00

(1ख) लॉन का विकास

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		वास्तविक (एकड़ में)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (एकड़ में)	वित्तीय (रु.में)
1	निदेशक (उद्यान) दक्षिण-पूर्व	39	58,50,000	9	13,50,000

(2क) वृक्षारोपण

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियाँ			
		वृक्ष		झाड़ियाँ		वृक्ष		झाड़ियाँ	
		वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (रु.में)
1	निदेशक (उद्यान) उत्तर-पश्चिम	32650	4897500	103025	7726875	33960	5094000	35510	2663250

श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा पौधारोपण अभियान

7

भूमि प्रबंधन एवं भूमि निपटान विभाग

7.1 भूमि प्रबंधन विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की भूमियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। नजूल-I भूमि की देखभाल करने के अतिरिक्त, जिसे पूर्व डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से दि.वि.प्रा. द्वारा विरासत में लिया गया था, यह 1957 के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहित नजूल-II भूमि का प्रबंधन एवं देखरेख भी करती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो पहले के पुनर्वास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की कुछ भूमि भी देख भाल एवं रख-रखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास है।

भूमि प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

i) भूमि का अधिग्रहण करना।

ii) भूमि का प्रबंधन।

iii) भूमि उपयोगकर्ता विभागों की सहायता करना।

iv) भूमि प्रबंधन संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

v) अतिक्रम हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रम की योजना बनाना तथा निष्पादन करना।

vi) दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करना।

भूमि प्रबंधन की क्षतिपूर्ति शाखा को दि.वि.प्रा. के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से रह रहे निवासियों को हटाने, उनसे होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने और वसूली करने का कार्य सौंपा गया है। इसके लिए एक संपदा अधिकारी हैं, जिन्हें पीपी अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति और निष्कासन के मूल्यांकन के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु शक्तियाँ दी गई हैं।

दि.वि.प्रा. के भूमि प्रबंधन विभाग की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए :-

दि.वि.प्रा. के खाली प्लॉटों की सूची

I. विभिन्न भू-स्वामित्व वाले विभागों अर्थात् भूमि प्रबंधन, अभियांत्रिकी और उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी खाली प्लॉटों की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली गई है तथा इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

II. प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) नई व्यवस्था के अंतर्गत दि.वि.प्रा. भूमि के अतिक्रमण की निगरानी और पर्यवेक्षण करने, उसे हटाने और उसकी सुरक्षा करने हेतु नोडल अधिकारी है तथा इन्हें अभियंता शाखा के संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंताओं (एसई) के अधीन निगरानी इकाई द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

- अतिक्रमण का समय से पता लगाने हेतु खाली पड़ी भूमि की तस्वीरों को मासिक आधार पर अपलोड करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।
- दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि की उचित सुरक्षा हेतु चारदीवारी का निर्माण/फेन्सिंग के कार्य को पूरा करने हेतु सभी मुख्य अभियंताओं को निदेश भी जारी कर दिए गए हैं। खाली पड़ी भूमि पर साइनबोर्ड लगाने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है।
- यमुना नदी तल के अंतर्गत आने वाली भूमि, जो कि अस्थायी अतिक्रमण, अवैध खेती आदि के प्रवृत्त है, को मुख्य योजना के अनुसार 'हरित' में उपयोग हेतु भूमि प्रबंधन विभाग से उद्यान विभाग को अंतरित कर दिया गया है।
- दि.वि.प्रा. की भूमि की सुरक्षा तथा अतिक्रमण को रोकने और हटाने के संदर्भ में तुरंत कार्रवाई करने हेतु माननीय उपराज्यपाल के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित निर्देश जारी किए गये है।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण हटाने और संरक्षित करने में शामिल दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पुरस्कार देने के लिए एक नीति परिपत्र उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया गया है।
- क्षेत्रीय दौरों के दौरान पाए गए अतिक्रमण के विवरण को दर्ज करने के लिए समुचित डायरियाँ रखने के लिए फील्ड स्टाफ को दिनांक 27.09.2018 के आदेश द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधीक्षण इंजीनियर को फील्ड स्टाफ द्वारा रखी गई डायरियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गय है। यह सूचित किया जाता है कि फील्ड स्टाफ अतिक्रमण की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए अपनी बीट गाड़ियों में अतिक्रमण के विवरण दर्ज करते हैं। अतः इन बीट डायरियों में दिए गए विवरण से अतिक्रमण के अधीन भूमि की पहचान करना संभव हो जाता है।
- बार-बार अतिक्रमण करने की समस्या को डिमोलिशन कार्यक्रम चलाने के बाद उद्धार की गई भूमि की घेराबंदी करके दूर किया जाएगा।

दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण की निगरानी हेतु मोबाइल फोन पर आधारित एप्लिकेशन बनाना।

i) दि.वि.प्रा. की भूमि के निरीक्षण हेतु जिम्मेदार फील्ड स्टॉफ को एंड्राइड आधारित मोबाइल फोन दिए गए हैं तथा स्थानों की फोटो को अपलोड करने हेतु एप्लिकेशन तैयार किया गया है, जो फोटो की तिथि के साथ देशान्तर और अक्षांश को भी प्रदर्शित करेगा। स्थान का निरीक्षण करने वाले अधिकारी से स्थान की सेल्फी को भी अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है। इन सभी फोटो ग्राफ को एप्लिकेशन पर पोस्ट करना होता है।

ii) शहरी विकास मंत्रालय की संसद की स्थाई समिति ने दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का विकास और इसके खाली पड़े प्लाटों की सूची बनाने के संबंध में दि.वि.प्रा. के प्रयासों की सराहना की।

इंजीनियरिंग/उद्यान विभाग को खाली पड़ी भूमियों का अंतरण

i) यह निर्णय लिया गया है कि भूमि प्रबंधन विभाग की सभी खाली पड़ी भूमि को स्थल पर समय-बद्ध तरीके से उचित सीमांकन के बाद इंजीनियरिंग/उद्यान विभाग को सौंपा जाएगा। खसरा संख्या, स्थलों के देशान्तर और अक्षांतर आदि विवरण, सौंपने/ग्रहण करने के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे।

लैंड पूलिंग पॉलिसी

लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत अधिसूचित 95 गाँवों के विकास क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है। तथापि, अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर परिचालित और जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है।

ग्राम सभा भूमि का कब्जा लेना/देना

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28.01.2019 के अनुसार 89 गाँवों को शहर के रूप में अधिसूचित किया गया है। भूमि प्रबंधन विभाग इन 89 गाँवों की ग्राम सभा भूमि का कब्जा लेने/देने का कार्य कर रहा है।

पीएम - उदय सेल

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों (यू.सी.) के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने/पहचान करने अथवा बंधक/हस्तांतरण अधिकार देने हेतु कैबिनेट के दिनांक 23.10.2019 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पीएम - उदय सेल (अनाधिकृत कॉलोनी सेल) का गठन किया गया है। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के 40 लाख निवासियों को लाभ पहुँचाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 29.10.2019 को अनधिकृत कालोनियों के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं.

दिनांक 1 अपैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक भूमि प्रबंधन विभाग से संबंधित वास्तविक प्रगति (वास्तविक एवं वित्तीय)

कार्य	उपलब्धि
रा.रा.क्षे.दि. सरकार के एल.ए.सी/भूमि एवं भवन विभाग द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि	11.56 एकड़
क्षतिपूर्ति की वसूली	3,11,99,246/- रुपये
जारी किया गया मुआवजा	30/- लाख रुपये
(i) बढ़ा हुआ मुआवजा जारी किया गया (ii) कोर्ट अटैचमेंट	17,55,24,800/- रुपये 161,75,17,396/- रुपये
स्टाफ क्वॉटर की बेदखली के निर्णीत मामले क्षतिग्रस्त सम्पति	28 25
समाधान कार्यः अवार्ड पूरा किया गया और एल.ए.सी. द्वारा प्रमाणित किया गया।	दि.वि.प्रा. द्वारा पूरा किया अवार्ड - 1386 एल.ए.सी. द्वारा अनधिकृत - 723
दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर फोटोग्राफ सहित भूमि की स्थिति	3261 स्थानों की 82878 इमेज
एल.ए.सी. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को पहले भुगतान कर दी गयी अधिशेष राशि की वसूली।	शून्य
ग्राम सभा की ली गई भूमि	7330 बीघा 15 बिस्वा

7.2 भूमि निपटान (एल.डी.) विभाग

भूमि निपटान विभाग नीलामी अथवा आबंटन द्वारा विभिन्न उपयोग की परिसंपत्तियों जैसे आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक, औद्योगिक, व्यावसायिक संपदा (निर्मित दुकानों/कार्यालयों) एवं लाइसेंस संपत्तियों के निपटान और पट्टे की व्यवस्था का कार्य करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 (नजूल नियम) में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अथवा नियंत्रण और पर्यवेक्षण नजूल भूमि के निपटान के तरीके से संबंधित प्रावधान है।

भूमि निपटान विभाग की कार्य पद्धति में सुधार के उपाय

- प्रोजेक्ट इडली आई.डी.एल.आई. (भूमि सूचना का संवादात्मक निपटान) प्रणाली के अंतर्गत सांस्थानिक और औद्योगिक संपत्तियों और ई-म्यूटेशन के डेटा एकत्रीकरण का कार्य सफलता पूर्वक किया गया। इससे प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेयता आएगी। दि.वि.प्रा. आवेदकों से किसी प्रकार का प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है। और अधिक जन केंद्रित सुविधाएं जैसे ई-कनवर्जन, ई-ईओटी इत्यादि जून-जुलाई 2020 तक लाँच की जानी तय हैं।
- नीलामी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने हेतु विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भूमि निपटान विभाग में ई ऑक्शन सेल बनाया गया है।
- पारदर्शिता और फास्टर प्रोसेसिंग हेतु एल.ए.बी. (रोहिणी) और एल.एस.बी. (रोहिणी) को मर्ज किया गया है, क्योंकि दोनों शाखाएं रोहिणी आवासीय योजना 1981 से संबंधित हैं।
- धार्मिक, सामाजिक समारोह इत्यादि हेतु खुली जगहों/सामुदायिक भवनों की बुकिंग हेतु पॉलिसी को आसान बनाया गया है।

विकास मीनार

वर्ष 2019-20 के दौरान भूमि निपटान विभाग की उपलब्धियां

क्रम सं.	मद	जीएच	सीएस	एलएबी (रो)	सीई	सीएल	एलएसबी -I	आईएल	ओएसबी	एलपीसी (i)	एलए (आवासीय) (ii)	कुल
1.	वार्षिक प्रीमियम (राशि करोड़ रु. में)	शून्य	शून्य	228	51.18	504.4	652	795.56	55.84	12.61	113.34	2412.93
2	कन्वर्जन के मामले और निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	2744	252	2700	401	161	373	शून्य	414	शून्य	327	7372
3	नामांतरण परिवर्तन की अनुमति दी गई	187	52	439	32	25	51	शून्य	37	शून्य	77	900
4	निष्पादित किए गए पट्टा विलेख	2	20	3388	248	9	शून्य	19	2	शून्य	21	3709
5	जारी किए गए कब्जा पत्र	शून्य	शून्य	5923	120	21	109	27	12	142	114	6468
6	बढ़ायी गयी समयावधि	शून्य	शून्य	331	शून्य	23	90	23	3	शून्य	20	490
7	बंधक रखने की अनुमति प्रदान की गई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	35	15	4	शून्य	33	91
8	निपटान किए गए आर.टी.आई. मामले	240	149	200	217	431	263	178	454	117	223	2472
9	उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस	4	8	28	114	121	4	37	2	240	12	570
10	रद्दकरण	शून्य	शून्य	शून्य	61	6	शून्य	1	शून्य	06	शून्य	74
11	बहालीकरण	शून्य	6	8	शून्य	1	5	2	शून्य	शून्य	शून्य	22
12	नीलामी/वैकल्पिक आबंटन द्वारा किया गया आबंटन	शून्य	शून्य	शून्य	116	240	276	4	37	142	364	1179
13	टिप्पणियाँ	(i) निविदा द्वारा पार्किंग का आबंटन – 40 (ii) फेज-I (21.1.2019) एवं फेज-II (25.3.2019) ई-नीलामी सुसंगत अवधि (1.4.2018 से 31.3.2019 के दौरान आयोजित की गई तथापि, उसके लिए माँग पत्र इस वित्तीय वर्ष में बाद के महीनों में जारी कर दिया गया था। फेज- III से VI तक के मांग पत्र भी वित्तीय वर्ष 2019-2020 में जारी कर दिए गए थे।										

वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग की अन्य उपलब्धियाँ:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न प्रकार की सम्पतियों के छह मेगा ई-नीलामी संचालित की गई थी। दि.वि.प्रा. द्वारा विभिन्न प्रकार की 945 संपत्तियों और लगभग रु. 2428 करोड़ की बोली स्वीकार की गई है तथा बोलीदाताओं से अनुबंधित समय के भीतर भुगतान प्राप्त होने की शर्त पर जारी की जाएंगी।
- सीएसआईआर और स्थानीय निकायों के सहयोग से प्लास्टिक वेस्ट को पेट्रोल में परिवर्तित करने की परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- दिल्ली अपार्टमेंट आनरशिप अधिनियम लागू किया गया।

आवास विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1967-68 से आवासीय कार्यकलाप आरंभ किया गया है। बेहतर सार्वजनिक सेवा, अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता प्रदान करने की चाह में दि.वि.प्रा. ने पिछले दिनों कई कदम उठाए हैं तथा यह एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए भविष्य में और उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. के इतिहास में पहली बार सैंपल फ्लैट की अवधारणा शुरू की गई। यह अवधारणा आवेदकों को फ्लैटों के लिए आवेदन करने से पहले फ्लैटों के स्थान, आकार और लागत से अपनी संतुष्टि करने, विजिट और निरीक्षण करने में मदद मिली।

1. आवास योजना - 2019 :-

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 17,922 फ्लैटों के आबंटन के लिए दिनांक 25.03.2019 से आवासीय स्कीम-2019 की शुरूआत की और इसके लिए दिनांक 23.07.2019 को ड्रा निकाला गया। विभिन्न श्रेणियों के 8,438 फ्लैट आम जनता को आवंटित किए गए हैं।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऑनलाइन आवास योजना

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न स्थानों जैसे जसोला, रोहिणी, द्वारका इत्यादि पर 269 फ्लैटों के निपटान हेतु दिनांक 05.09.2019 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऑनलाइन स्कीम लॉंच की। दिनांक 23.12.2019 को स्कीम हेतु ड्रा निकाला गया था।

3. नरेला के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों हेतु ऑनलाइन हाऊसिंग स्कीम

दि.वि.प्रा. ने नरेला में स्थित 6273 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निपटान हेतु दिनांक 30.08.2019 को ऑनलाइन स्कीम लॉंच की और आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2019 थी। दिनांक 23.12.2019 को स्कीम हेतु ड्रा निकाला गया था।

4. दो पास-पास के फ्लैटों को एक बड़ी इकाई के रूप में मिलाने की अनुमति के साथ नरेला में स्थित एलआईजी फ्लैटों (''जोड़ी में'') के निपटान हेतु ऑनलाइन रनिंग स्कीम

दि.वि.प्रा. ने दो पास के फ्लैटों को एक बड़े फ्लैट के रूप में समामेलन की अनुमति के साथ नरेला में स्थित एलआईजी फ्लैटों (जोड़ी में) के निपटान हेतु ऑनलाइन रनिंग स्कीम 2019 को दिनांक 06.12.2019 से लॉंच की तथापि, खरीदाता के पास समामेलन न करने का भी अधिकार रहेगा।

5. शौर्य पुरस्कार विजेताओं हेतु ऑनलाइन रनिंग स्कीम

दि.वि.प्रा. ने शौर्य पुरस्कार विजेताओं/शहीदों की विधवाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्कीम लॉंच की है। एलआईजी वन बेडरूम कैटेगरी के लगभग 1000 फ्लैट निपटान हेतु स्कीम में शामिल किए गए हैं।

6. कठपुतली कॉलोनी स्वस्थाने विकास परियोजना, दि.वि.प्रा. द्वारा पीपीपी मोड पर शुरू की गई पहली स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजना

परियोजना में 3348 पात्र निवासी हैं। विकसित कठपुतली कॉलोनी स्थान पर 2800 जे जे निवासियों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे, जबकि बचे हुए लोगों को नरेला में निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए हैं। 2800 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण दिसम्बर, 2020 तक पूरा होने की सम्भावना है।

दि.वि.प्रा. ने दि.वि.प्रा. कॉलोनियों के रखरखाव हेतु दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं और प्रत्येक दि.वि.प्रा. कॉलोनी हेतु लिंक ऑफिसर नियुक्त किया है। स्कीम के दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु आरडब्ल्यूए और लिंक आफिसरों के साथ कई बैठके भी आयोजित की गई हैं। दि.वि.प्रा. कॉलोनियों की आरडब्ल्यूए को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाएगा ताकि इन कॉलोनियों का रखरखाव ठीक तरह से हो सके।

आवास विभाग में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

आवास विभाग की सभी शाखाओं में ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया तथा इस समय सभी नई फाइलें इलेक्ट्रनिक रूप में बनाई और देखी जाती हैं।

पुरानी फाइलों का डिजिटल स्टोरेज

कम्प्यूटर सिस्टम में लगभग 46,000 फाइलें डिजिटली प्रोसेस की जा चुकी हैं।

बसंत कुंज में दि.वि.प्रा. फ्लैट

9

प्रणाली विभाग

दि.वि.प्रा. की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जनता को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के आईटी/ई-गवर्नेन्स पहली की गई

- **ई-ऑफिस का कार्यान्वयनः** वर्ष 2019-20 के दौरान आवास, भूमि निपटान, भूमि प्रंबधन, प्रणाली, लेखा, खेल अभियांत्रिकी, उद्यान, कार्मिक, जनसंपर्क योजना, वास्तुकला, भू-दृश्य और अन्य सभी विभागों में ई-ऑफिस को क्रियाशील बनाया है।

  दि.वि.प्रा. में अधिकांश फाइलें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाती हैं जिससे जनता को सेवा प्रदान करने में काफी समय बचता है। दि.वि.प्रा. में अभी लगभग 4000 फाइलें ई-ऑफिस पर संचलन में हैं।

  ऑनलाइन आवास योजनाएंः फ्लैटों और सम्पत्तियों की निलामी के लिए सभी आवास योजनाएं ऑनलाइन की गई हैं।

- **जन शिकायत निवारण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और विशेष कार्य बल शिकायत प्रबंधन पोर्टल को प्रचालन में लाया गया है।**
  - जन साधारण की शिकायत निवारण के लिए एक वेब इनेबल्ड पोर्टल और मोबाइल एप प्रचालन में हैं।
  - शिकायतों का जवाब ऑनलाइन दिया जाता है, और यदि आवश्यक हो तो, संबंधित अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइन्टमेंट भी ली जा सकती है।
- **ऑनलाइन रिकॉर्ड रूम प्रबंधनः**
  - रिकॉर्ड रूप में रिकॉर्ड प्रबंधन एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। शुरूआत में, 40,000 फाइलें को रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किया गया और रिकॉर्डकर्ता इस प्रणाली में नियमित रूप से फाइलें दर्ज कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से फाइलों की गतिविधि ट्रैक की जा सकती है।
- **स्टाफ क्वार्टरों का ऑनलाइन आबंटनः**
  - स्टाफ क्वार्टर के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन किए गए।
- **न्यायालयी मामलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रो-वकील एप्लीकेशनः**
  - लगभग 24000 लंबित कोर्ट केस दिन प्रतिदिन कानूनी कार्यवाही निगरानी के लिए अपलोड किए गए।
  - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायालयी मामलों की वास्तविक समय स्थिति को चैक किया जा सकता है।
  - एस.एम.एस., ई-मेल आदि के माध्यम से ऑटोमेटिक एलर्ट की व्यवस्था।
- **कम्प्यूटरीकृत कॉल सेंटरः**
  - कम्प्यूटरीकृत कॉल सेंटर की स्थापना। जनता के प्रश्न उत्तर का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।
- **कार्य प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायः**
  - लगभग 100% भुगतान ऑनलाइन प्राप्त किए गए।
  - सम्पत्तियों के ऑनलाइन नामांतरण के लिए एप्लीकेशन की अगस्त, 2019 में आरम्भ किया गया।
  - रोहिणी प्लॉटों के लिए बकायों और समूह आवास के लिए भू-भाटक की ऑनलाइन गणना के लिए अक्टूबर, 2019 में मॉड्यूल शुरू किया गया।
  - ऑनलाइन भवन नक्शा स्वीकृति प्रणाली जिसमें 10 अन्य विभाग जैसे अग्नि शमन, एएआई, पुरातत्व, नगर निगम, शहरी कला आयोग आदि के साथ समाकलन शामिल है।
  - दिल्ली अपार्टमेंट के विलेख हेतु ऑनलाइन प्रणाली
  - क्षति पूर्ति सम्पत्तियों से क्षतिपूर्ति संग्रहण के लिए ऑनलाइन प्रणाली।
  - पीएमएवाई परियोजना कार्य निगरानी एप्लीकेशन विकसित की गई और प्रचालन में लाई गई।
  - सतर्कता विभाग को ऑनलाइन आवेदन और ई-ऑफिस कार्यान्वयन के माध्यम से सशक्त बनाया गया है।
  - हस्तांतरण विलेख जारी करने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रक्रमण केंद्रों (प्रोसेसिंग सेंटर) को स्थापित किया गया।
  - अभियांत्रिकी योजनाओं की माप पुस्तिकाओं को ऑनलाइन भरने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयनः- ठेकेदारों और अभियंताओं द्वारा माप पुस्तिका को ऑनलाइन भरने के लिए यूजर फ्रेंडली मोबाइल और वेब आधारित एप्लीकेशन सक्रिय है। यह परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में सहायता करेगा।
- **फाइल ट्रेकिंगः**
  - पूरे दि.वि.प्रा. में फाइल ट्रेकिंग एप्लीकेशन को सक्रिय किया गया है। 2 लाख से अधिक फाइलों को इस पर पोर्ट किया गया है।
- **उपाध्यक्ष कार्यालय का स्वचालन (ऑटोमेशन)**
  - उपाध्यक्ष जन सुनवाई के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए एप्लीकेशन
  - वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली
  - सभी विभागों की लक्ष्य निगरानी प्रणाली

- **कम्प्यूटरीकृत फोटो आगतुंक पास के माध्यम से आगंतुक निगरानी:**
  - आगंतुकों को फोटो आगंतुक पास जारी किए जाते हैं। उनके मोबाइल नम्बर और उनकी सम्पत्ति से संबंधित फाइल संख्या को स्टोर किया जाता है।
- **जनता और दि.वि.प्रा. कर्मचारियों द्वारा सेवाओं की तीव्र एक्सेस के लिए नेटवर्क लीज्ड लाइन सर्किट और वाई-फाई नेटवर्क को अपग्रेड किया गया:**
  - विकास सदन और विकास मीनार में निर्बाध (सीमलेस) इंटरनेट सेवाओं के लिए 150 एमबीपीएस लीज लाइन लगाई गई।
  - विकास सदन और विकास मीनार में 100 एमबीपीएस वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध कराई गई।
- **विभिन्न विभागीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए लगभग 535000 फाइलों की स्कैन की गई प्रति उपलब्ध करवाई गई।**
  - सर्वर पर लगभग 5 लाख पुरानी फाइलें और 35000 लाइव फाइलें स्कैन और अपलोड की गई।
  - दि.वि.प्रा. यूजर इंटरनेट पर फाइल को एक्सेस कर सकता है।
  - पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी हार्डवेयर खरीद जेम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- **आवधिक फोटोग्राफ को अपलोड करके भूमि के संरक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन:**
  - इस मोबाइल एप्लीकेशन को इस प्रकार से डिजाइन और विकसित किया गया ताकि दि.वि.प्रा. कर्मचारी खाली पड़ी भूमि की फोटोग्राफ आवधिक रूप से अपलोड कर सके। इस प्रक्रिया में स्थानों की चौड़ाई और लंबाई की भी फोटोग्राफ ली जा सकती है और इस प्रकार से इन फोटोग्राफ के माध्यम से अतिक्रमण का पता आसानी से लगायाा जा सकता है और उन्हें हटाने के लिए समय से कार्रवाई की जा सकती है।
- **मोबाइल एप्स के माध्यम से दि.वि.प्रा. पार्कों में सेवाओं की निगरानी:**
  - दि.वि.प्रा. पार्कों के संबंध में जनता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए मोबाइल आधारित और वेब आधारित एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित की गई है।
- **दि.वि.प्रा. के पार्कों समाज सदनों और ओपन स्पेस की ऑनलाइन बुकिंग:**
  - वर्ष 2019-20 के दौरान, कई हजार ऑनलाइन बुकिंग की गई हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	बुकिंग का प्रकार	बुकिंग की संख्या
2019-20	ओपन स्पेस समाज सदन	2838 1664

- **ऑनलाइन समस्या निदान सेवा:** आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन समस्या निदान सेवा के रूप में जानी जाने वाले वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर सक्रिय हैं।
- **ए.डब्ल्यू.ए.ए.एस (आवास) और आवास आबंटन:** एक एप्लीकेशन जिसे आवास के नाम से जाना जाता है, सक्रिय है। ड्रॉ प्रक्रिया के द्वारा आबंटन, मांग पत्रों को जारी करना, भुगतानों का ऑनलाइन सत्यापन आवास और आवास लेखा विभागों द्वारा इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है।
- **रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 के लिए भूमि और ऑनलाइन सेवाएं:** रोहिणी आवासीय स्कीम-1981 के आबंटितियों के लिए मांग-पत्र की ऑनलाइन प्रिंटिंग के लिए और आबंटितियों द्वारा भुगतान विवरण को देखने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की गई। आबंटिती इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।
- **सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली:** विभिन्न स्तरों पर सतर्कता शिकायतों की निगरानी करने के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर तैयार, विकसित और प्रचालित किया गया।
- **''सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों को भूमि के आबंटन की निगरानी प्रणाली''** हेतु एक सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकसित किया गया, ताकि आवेदकों द्वारा आवेदन विवरणों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके।
- आवेदकों द्वारा **''दि.वि.प्रा. के समाज सदनों/पार्कों/जिला केंद्रों के कुड़े और मलबे के रखरखाव''** से संबंधित शिकायतों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया। आवेदक द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रस्तुत शिकायतों की निगरानी और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया।
- भवन नक्शों/परमिट के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बाह्य एजेंसियों को प्रेषित संदर्भों की जानकारी प्राप्त करने हेतु **दि.वि.प्रा. की उच्च शक्ति प्राप्त समिति के लिए भवन नक्शे/परमिट निगरानी प्रणाली** के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।
- डाटा कैप्चर करने के लिए तथा सांस्थानिक संपत्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर **इंटरैक्टिव डिस्पोजल ऑफ लैंड मैनेजमेंट (आई.डी.एल.आई) विकसित किया गया है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट्स को भी तैयार किया गया। बारकोड जेनरेशन बारकोड रीडिंग** फाइल लोकेशन, डैशबोर्ड इत्यादि जैसी कुछ अन्य विशेषताओं को भी विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर को प्रचालित और सक्रिय कर दिया गया है।

श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा दि.वि.प्रा. की कम्प्यूटरीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन।

10

खेल विभाग

10.1 परिचय

दिल्ली मुख्य योजना-2001 के प्रावधानों के अनुसार दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के सभी जोन में खेल परिसरों का विकास किया है। पहला खेल परिसर सिरी फोर्ट में 1989 में खोला गया था और उसके बाद चौदह अन्य परिसरों तथा दो गोल्फ कोर्स का विकास किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिरी फोर्ट में स्क्वॉश और बैडमिंटन के लिए तथा यमुना खेल पसिर में तीरन्दाजी और टेबल टेनिस के लिए स्टेडियमों का विकास किया। इन दोनों स्टेडियमों का उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए किया जा रहा है और ये स्टेडियम जनता द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध हैं।

यद्यपि ये खेल परिसर सदस्यता पर आधारित होते हैं, जिनमें केवल खेलने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करके इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों और खेल संघ एवं एसोसिएशनों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।

खेल परिसर विशेष तौर से खेल संबंधित गतिविधियों एवं सुविधाओं के लिए समर्पित हैं, जिनमें 20 से अधिक खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10.2 खेलकूद आधारिक संरचनाः-

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित खेलकूद आधारिक संरचना निम्नप्रकार हैः-

सुविधा	विवरण
खेल परिसर	15 (दक्षिण में 5, पूर्व में 4 और उत्तर एवं पश्चिम में तीन-तीन)
लघु खेल परिसर	3 (दक्षिण में मुनीरका, पूर्व में कांति नगर और पश्चिम में प्रताप नगर)
तरणताल (स्वीमिंग पूल)	17 (पूरे वर्ष प्रयोग में आने वाले तीन स्वीमिंग पूल सहित)
खेल परिसरों / गोल्फ कोर्स में फिटनेस सेंटर	19
हरित क्षेत्रों में मल्टी जिम	21 (इनमें में 1 विशेष रूप से महिलाओं के लिए)
लुघ फुटबाल मैदान	10 (हरित क्षेत्रों में 2 और खेल परिसरों में 8)
गोल्फ कोर्स	2-लाडो सराय (18 होल) और भलस्वा (9 होल)
मिनी गोल्फ कोर्स	1 (सिरी फोर्ट)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	3 (सिरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)

10.3 सदस्यता की स्थिति/उपयोगिताः-

31 मार्च, 2020 तक, सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों की कुल संख्या 57831 भी। इसमें कैजुअल सदस्य, अतिथि खिलाड़ी आदि शामिल नहीं है। खेल एसोसिएशन द्वारा प्रशिक्षण एवं खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए इन सुविधाओं के उपयोग के अलावा लगभग150580 व्यक्ति इन सुविधाओं का उपयोग मासिक आधार पर करते हैं।

10.4 खेलकूद गतिविधियाँः-

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक खेलकूद विंग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गयाः-

प्रतियोगिताएं	तिथि	खेल परिसर का नाम	टिप्पणी (प्रतिभागियों/ टीम की संख्या)
एनजीओ (आरंभ) महिला क्रिकेट टूर्नामेंट	02.04.2019	एनएसएससी	40-50
VI वीसी कप गोल्फ टूर्नामेंट	07.04.2019	बीजीसी	88
स्पोर्ट्स गाला	12 से 16 अप्रैल, 2019	वाईएससी	34
स्पोर्ट्स गाला 2019	18 मई से 10 जून 2019	पीवीएससी	लगभग 100
स्पोर्ट्स गाला 2019	11.06.2019	पीवीएससी	लगभग 100
21.06.2019 को सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।			
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर स्पोर्ट्स मीट	13 एवं 14 जुलाई 2019	एसएससी	लगभग 200
स्पोर्ट्स गाला	17 से 25 जुलाई 2019	एमडीसीएससी	48
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट	28.07.2019	एसएफएससी	250
15.08.2019 को सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया			
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट	18.08.2019	पीवीएससी	लगभग 80

महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट	27 से 28 अगस्त, 2019	एमडीसीएससी	167 प्रतिभागी
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट	27 एवं 28 अगस्त, 2019	आरएससी	लगभग 350
19.09.2019 से 02.10.2019 तक सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया।			
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स मीट	21 से 22 सितंबर, 2019	एनएसएससी	150–200
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट	27 से 30 सितंबर, 2019	वीकेएससी	230
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट	28.09.2019	सीडब्ल्यूजीवीएससी	295
02.10.2019 को सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती फिट इंडिया कैम्पेन और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कैम्पेन आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।			
टेनिस गाला	19 से 20 अक्टूबर, 2019	सीएससी	65
दिनांक 28.10.2019 से दिनांक 02.11.2019 के दौरान सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन।			
दिनांक 26.10.2019 को सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया।			
संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन	16 और 17 दिसंबर, 2019	सीडब्ल्यूजीवीएससी	107 प्रतिभागी 08 टीम
स्केटिंग टूर्नामेंट	18.12.2019	डीएससी	84
खेलकूद समारोह 2019	18 से 22 दिसंबर, 2019	एनएसएससी	150–200
खेलकूद समारोह 2019	21 से 27 दिसंबर, 2019	डीएससी	105
भारत के संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने हेतु डीडीए स्केटिंग चैंपियनशिप–2019	22.12.2019	एचएनएससी	20–25
भारत के संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ का आयोजन	28.12.2019	एनएसएससी	100–150
वार्षिक खेल समारोह 2019	29.12.2019	सीडब्ल्यूजीवीएससी	90
ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट	19.01.2020	एसबीएस	78
दिनांक 26.01.2020 को सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया			
खेलकूद समारोह	30 और 31 जनवरी, 2020	वीकेएससी	स्केटिंग–15, टेबल टेनिस–22, लॉन टेनिस – 55, बास्केटबॉल–65
एटैचमेंट प्लान 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर्स–प्रशिक्षुओं का एक्सपोजर विजिट	31.01.2020	वीकेएससी	50
संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर क्रिकेट टूर्नामेंट	31.01.2020	सीडब्ल्यूजीवीएससी	60
हिन्दू एल्मुनाई गोल्फ टूर्नामेंट	01.02.2020	क्यूजीसी	
वीसी क्रिकेट कप–2020	22.02.2020	एनएसएससी	30–40
लेफ्टिनेंट गर्वनर कप 2020	22, 23, 29 फरवरी और 01 मार्च, 2020	क्यूजीसी	
संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ का आयोजन	29.02.2020	एनएसएससी	50–60

भारत के संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने हेतु बैडमिंटन टूर्नामेंट	29.02.2020	आरएससी	लगभग 54
वीसी क्रिकेट कप – 2020	01.03.2020	एनएसएससी	30-40
वार्षिक खेलकूद समारोह	13 से 16 मार्च, 2020	पीवीएससी	10 टीम
VII वीसी कप गोल्फ टूर्नामेंट	14 और 15 मार्च, 2020	बीजीसी	156

10.5 खेलकूद समारोहः-

खेलकूद समारोह सदस्यों और उनके आश्रितों को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह सभी परिसरों में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। सभी आयु वर्गों के लिए टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्डस आदि जैसे पृथक खेलों के लिए टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं।

10.6 कोचिंगः-

सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे-क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक्स ताइक्वांडो इत्यादि के लिए नियमित कोचिंग दी गई। पेशेवर प्रशिक्षकों (कोचों) द्वारा 163 व्यक्तिगत कोचिंग योजनाओं को चलाया जा रहा है और लगभग 4520 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया है। विभिन्न खेलों में समाज के कमजोर वर्गों के लगभग 870 प्रतिभागशाली प्रशिक्षुओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन कोचिंग- स्कूलों/कॉलेजों के ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान सभी खेल परिसरों में विशेष ग्रीष्म कालीन कोचिंग कैम्प आयोजित किए गए।

10.7 गोल्फ को बढ़ावा देना

लाडो सराय स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स भारत का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है, जिसने व्यस्त समय में सप्ताह के अंत में लगभग 300 राउंड खेलने के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की है। भलस्वा में एक अन्य 9 होल पब्लिक गोल्फ कोर्स ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली वासियों के लिए गोल्फ के खेल को सुलभ बनाया है।

सिरी फोर्ट खेल परिसर में निर्मित मिनी गोल्फ कोर्स भी लोकप्रिय है और यह अधिक उपयोग किया जानेवाला गोल्फ कोर्स है।

सिरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स में गोल्फ ड्राइविंग रेंज का उपयोग नौसिखियों, शौकीनों और पेशेवरों द्वारा उस खेल को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।

10.8 गोल्फ कोचिंग

वर्ष के दौरान कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा एक कोचिंग कैम्प का आयोजन किया गया।

10.9 गोल्फ टूर्नामेंट

कुतुब गोल्फ कोर्स और भलस्वा गोल्फ कोर्स कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रायोजित विभिन्न गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा गोल्फ के सीजन में प्रतिमाह ऐसे दो टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं। प्रतिवर्ष फरवरी माह में प्रतिष्ठित एलजी कप आयोजित किया जाता है।

10.10 खेलकूद प्रोत्साहन स्कीम

दि.वि.प्रा. एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिमनास्टिक तथा तीरंदाजी की चार खेलकूद प्रोत्साहन स्कीम इन खेलों को प्रारंभिक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कर रहा है। ये स्कीम पूरी तरह से दि.वि.प्रा. द्वारा सहायता प्राप्त हैं और विशेषज्ञ सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती हैं।

10.11 एथलेटिक्स प्रोत्साहन स्कीम (एपीएस)

इस स्कीम को वर्ष 2001 से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। वर्तमान में 16 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम और 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के 29 एथलीट्स (15 लड़के और 14 लड़कियाँ) अपने संबंधित इवेन्ट्स (खेलों) में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम के प्रशिक्षुओं ने विभिन्न राज्य, जोनल और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और दि.वि.प्रा. के लिए पदक प्राप्त किए। कुछ उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं:-

- नेहरू स्टेडियम में दिनांक 02.08.2019 से 05.08.2019 तक वार्षिक दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 14 स्वर्ण, 17 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए।
- छत्रसाल स्टेडियम में दिनांक 21.08.2019 से 24.08.2019 तक दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 7 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए।
- संगरूर, पंजाब में दिनांक 14.09.2019 से 15.09.2019 तक नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 7 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किए।
- नेहरू स्टेडियम में दिनांक 05.10.2019 से 06.10.2019 तक जूनियर दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 12 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए।
- विजयवाडा में दिनांक 02.11.2019 से 06.11.2019 तक नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए।
- छत्रसाल स्टेडियम में दिनांक 11.11.2019 से 16.11.2019 तक दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए इंटर जोनल का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 12 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल किए।
- रायपुर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 26.11.2019 से 30.11.2019 तक सीबीएससी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए।
- संगरूर, पंजाब में दिनांक 4.12.2019 से 8.12.2019 तक अंडर-17 लड़के और लड़कियों के लिए नेशनल स्कूल एथलेटिक्स का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए।

- संगरूर, पंजाब में दिनांक 22.01.2020 से 26.01.2020 तक अंडर–19 लड़के और लड़कियों के लिए नेशनल स्कूल एथलेटिक्स का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 1 स्वर्ण पदक हासिल किया।
- भुवनेश्वर में दिनांक 28.01.2020 से 31.01.2020 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें दि.वि.प्रा. के एथलिटों ने 1 कांस्य पदक हासिल किया।

नोटः उपर्युक्त के अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. के एक एथलीट ने हैमर थ्रो में नवीन राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया और वर्ष 2019 के लिए आईएएएफ द्वारा घोषित रैंकिंग के अनुसार एशिया में पहली रैंक प्राप्त की।

10.12 फुटबॉल प्रोत्साहन योजना (एफपीएस)

यह योजना 2002 से सफलतापूर्वक चल रही है। नए प्रशिक्षुओं के लिए 11 और 12 जनवरी 2020 को सिरीफोर्ट खेल परिसर (एसएफसी) तथा 01 और 02 फरवरी 2020 को यमुना खेल परिसर (वाईएससी) में खुला चयन ट्रायल आयोजित किया गया। रिजर्व प्रशिक्षुओं सहित कुल 66 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया और 44 पुराने प्रशिक्षुओं को बनाए रखा गया। 45 प्रशिक्षु सिरीफोर्ट खेल परिसर में, 32 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर प्राप्त कर रहे हैं।

स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- दिल्ली में दिनांक 10.01.2019 से 5.07.2019 तक आयोजित एमेच्योर लीग में डीडीएएफपीएस ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
- दिल्ली में दिनांक 03.04.2019 से 28.04.2019 तक डीएसए 'ए' डिवीजन लीग (फाइनल राउंड) का आयोजन किया गया। डीडीएएफपीएस ने रजत पदक जीता और सीनियर डिवीजन लीग के लिए भी क्वालीफाई किया।
- जयपुर में दिनांक 20.07.2019 से 22.07.2019 तक ए.यू. राजस्थान इनवीटेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। डीडीएएफपीएस ने इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
- हमीरपुर, (हिमाचल प्रदेश) में दिनांक 1.9.2019 से 6.9.2019 तक आयोजित एआईएफएफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने हेतु दो प्रशिक्षुओं का चयन।
- भुना, हरियाणा में दिनांक 10.11.2019 से 12.11.2019 तक आयोजित ऑल इंडिया सीबीएसई स्कूल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने हेतु दो प्रशिक्षुओं का चयन।
- पोर्ट ब्लेयर, (अंडमान और निकोबार) में दिनांक 27.11.2019 से 06.12.2019 तक आयोजित एसजीएफआई, स्कूल गेम्स, सीनियर कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक प्रशिक्षु का चयन।
- पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब में दिनांक 31.12.2019 से 5.1.2020 तक आयोजित इंटर युनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने हेतु तीन प्रशिक्षुओं का चयन।
- खेड़ी तलवाना, हरियाणा में दिनांक 03.01.2020 से 08.01.2020 तक ऑल इंडिया इनविटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियन (जूनियर) का आयोजन किया गया। डीडीएएफपीएस की दो टीमों ने इसमें भाग लिया। टीम ए ने कांस्य पदक प्राप्त किया और टीम बी को रजत पदक प्राप्त हुआ।
- शिलॉंग, मेघालय में दिनांक 25.01.2020 से 06.02.2020 तक आयोजित एआईएफएफ बीसी रॉय ट्रॉफी का प्रतिनिधित्व करने हेतु तीन प्रशिक्षुओं का चयन।
- अगरतला, त्रिपुरा में दिनांक 29.1.2020 से 2.2.2020 तक आयोजित एसजीएफआई स्कूल गेम्स जूनियर कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने हेतु तीन प्रशिक्षुओं का चयन।

10.13 जिमनास्टिक प्रोत्साहन स्कीम (जीपीएस)

दिल्ली विकास प्राधिकरण जिमनास्टिक्स प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत एमएजी/डब्ल्यूएजी में जिमनास्ट लड़के और लड़कियों का प्रशिक्षण इंडोर जिमनास्टिक हॉल, यमुना खेल परिसर में 5 दिसंबर, 2014 से शुरू किया गया। इस समय 32 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैः–

- इलाहाबाद, उ.प्र. में दिनांक 02.10.2019 से 03.10.2019 तक 32वें नेशनल स्पोर्ट्स जिमनास्टिक्स कॉम्पीटिशन 2019 का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने इसमें 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते।
- सुभाष नगर, दिल्ली में दिनांक 18.10.2019 से 24.10.2019 तक दिल्ली स्टेट इंटर जोनल जिमनास्टिक्स 2019 का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने इसमें 3 स्वर्ण 03 रजत और एक कांस्य पदक जीता।
- आईजी स्टेडियम, दिल्ली में दिनांक 10.12.2019 से 15.12.2019 तक 59वें दिल्ली स्टेट जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने इसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त किए तथा जीपीएस जिमनास्टस अंडर–17 ब्यॉजय टीम चैंपियनशिप की विजेता रही।
- जोधपुर, राजस्थान में दिनांक 25.12.2019 से 29.12.2019 तक 28वें सब–जूनियर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप 2019–20 का आयोजन किया गया। डीडीएजीपीएस जिमनास्ट्स ने चैंपियनशिप में भाग लिया।
- मार्च, 2020 में इलाहाबाद में जूनियर नेशनल आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु दि.वि.प्रा. के एक जिमनास्ट का चयन।
- मार्च, 2020 में केरल में नेशनल रिदमिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने हेतु दि.वि.प्रा. जीपीएस तीन जिमनास्ट का चयन।

10.14 तीरंदाजी प्रोत्साहन योजना

दि.वि.प्रा. तीरंदाजी प्रोत्साहन स्कीम को जुलाई 2015 से आरंभ किया गया। इस समय में 16 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- अंताल्य, तुर्की में दिनांक 20.05.2019 से 26.05.2019 तक वर्ल्ड कप स्टेज–2 का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के एक प्रशिक्षु ने इसमें कांस्य पदक जीता।
- मैड्रिड, स्पेन में दिनांक 19.08.2019 से 25.08.2019 तक यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के एक प्रशिक्षु ने

कैडेट कंपाउंड टीम में भाग लिया।

- भुवनेश्वर (ओड़िसा) में दिनांक 25.12.2019 से 30.12.2019 तक ऑल इंडिया इंटर-वरसिटी चैंपियनशिप 2019-20 का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के एक प्रशिक्षु ने कंपाउंड टीम में कांस्य पदक जीता।
- गुवाहाटी, असम में दिनांक 04.01.2020 से 10.01.2020 तक तीसरे खेलों इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के एक प्रशिक्षु ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और दि.वि.पा. के तीन प्रशिक्षुओं ने इसमें भाग लिया जिसमें से एक प्रशिक्षु ने चौथा स्थान प्राप्त किया।
- भुवनेश्वर में दिनांक 22.02.2020 से 26.02.2020 तक पहले खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के एक प्रशिक्षु ने कंपाउंड आर्चरी में कांस्य पदक जीता।
- गुवाहाटी, असम में 2020 के लिए वर्ल्ड कप स्टेज 1, 2 हेतु असेसमेंट सेलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया गया। दि.वि.प्रा. के एक प्रशिक्षु का चयन किया गया लेकिन कोविड-19 पैनडेमिक के कारण वर्ल्ड कप रद्द कर दिया गया।

10.15 स्कूली बच्चों के टूर्नामेंट

दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में कम-व्यस्त घंटों में खेल सुविधाओं के अधिकांशतः कम उपयोग होने के कारण खेल प्रबंधन बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्कूल स्तर के टूर्नामेंटों का पूरे वर्ष आयोजन किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। तद्नुसार खेल परिसरों में स्कूल स्तर के टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है।

10.16 विकास कार्य

सभी परिसरों में सुविधाओं को व्यवस्थित रखने हेतु मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य अनवरत चलता रहता है। इसके अतिरिक्त, सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में पूंजीगत प्रकृति के मुख्य सुधार कार्य भी किए गए।

भलस्वा गोल्फ कोर्स

दि.वि.प्रा. का स्क्वॉश एवं बैडमिंटन स्टेडियम

वित्त एवं लेखा विभाग

1 लेखा (मुख्य)

(क) मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण के वार्षिक लेखों, जिनमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल हैं, के संकलन का कार्य करता है, जो निम्नानुसार हैं:-

क. नजूल खाता-1

इसमें वर्ष 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिल्ली सुधार न्यास से प्राप्त पुरानी नजूल सम्पदाओं से सम्बन्धित लेन-देन शामिल हैं। वार्षिक लेखों में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलनपत्र सम्मिलित हैं।

ख. नजूल खाता-2

इसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की योजनाओं से संबंधित लेन-देन शामिल हैं। केवल प्राप्तियां और भुगतान लेखा नजूल खाता-2 के लिए तैयार किया जा रहा है।

ग. सामान्य विकास खाता

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है जिसमें कमजोर वर्गों के लिए आवास निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, जिला केन्द्रों आदि जैसे व्यावसायिक कार्यकलापों और प्राधिकरण की भूमि से संबंधित लेन-देन शामिल हैं और राशि का भुगतान इस खाते के राजस्व से किया जाता है। इस वार्षिक लेखों में प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

घ. दि.वि.प्रा. का पेंशन निधि कोष एवं ग्रेच्युटी निधि कोष

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय विवरण, यानी प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा और तुलनपत्र इन दोनों ट्रस्टों हेतु अलग-अलग तैयार किए जा रहे हैं।

प्राधिकरण के वार्षिक लेखों के संकलन के अलावा मुख्य लेखा अधिकारी दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली निवेश समिति की सिफारिशों पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, लेखा अनुभाग सामान्य विकास निधि, नजूल लेखा-II, शहरी विकास निधि, आदि निधियों के अल्पकालिक निवेश से भी संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों को कैग (सीएजी) द्वारा ऑडिट किया गया है और कैग (सीएजी) से 'सही और निष्पक्ष' प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 के दि.वि.प्रा. के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष रखने हेतु दिनांक 31.01.2020 को मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। मार्च, 2020 तक के मासिक लेखों का संकलन किया गया है और उसी के आधार पर 31.03.2020 तक की प्राप्तियां और भुगतान नीचे दिये गये हैं।

आंकड़े करोड़ (₹) में

क्रम सं.	लेखाशीर्ष	प्राप्तियाँ			भुगतान		
		2017-18	2018-19	अनंतिम 2019-20	2017-18	2018-19	अनंतिम 2019-20
1.	नजूल-I	2.68	9.56	7.64	13.10	10.96	6.16
2.	नजूल-II	1631.60	2723.43	3254.05	1595.41	1742.63	1506.22
3.	सामान्य विकास खाता	683.61	1276.87	1213.26	2507.51	2675.03	2560.40
	कुल	2317.89	4009.86	4474.95	4116.02	4428.62	4072.78

वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस प्रकार, 2019-20 के आंकड़े अनंतिम हैं और अभी मिलान हो रहा है।

अधिशेष निधि का निवेश

प्राधिकरण के वार्षिक खातों के संकलन के अतिरिक्त लेखा शाखा निधि के निवेश का कार्य भी करती है।

आंकड़े करोड़ (₹) में

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2019 को	31.03.2020 को
नजूल-II	7990.98	7239.50	6834.22
सामान्य विकास खाता सामान्य निवेश	1.15	94.11	0.01
सिविल रख-रखाव निधि	443.00	467.22	537.46
आकस्मिक व्यय	1102.00	1158.01	1237.67
विद्युत रख-रखाव निधि	45.00	48.00	62.76
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	863.00	723.43	479.33

अन्य (सिरी फोर्ट वन क्षेत्र के यमुना प्रदूषण जुर्माना बहाली आदि)	6.40	6.72	7.25
शहरी विकास निधि	4869.49	4501.15	4613.81
कुल	**15321.02**	**14238.14**	**13772.51**

पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्दिष्ट निधि की वर्षवार स्थितिः

आंकड़े करोड़ (₹) में

मद	2017-18	2018-19	2019-20
पेंशन निधि न्यास	63.10	1.00	21.00
उपदान निधि न्यास	46.70	1.00	1.00
भविष्य निधि	6.00	80.94	0
छुट्टी नकदीकरण निधि	1.00	1.00	1.00
सेवानिवृत्ति उपरांत	4.30	1.00	1.00
चिकित्सा स्कीम	**121.10**	**84.94**	**24.00**

दि.वि.प्रा. की सामान्य भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण निधि और सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा निधि न्यास के लिए अलग न्यास पंजीकृत करवाया जा चुका है और वर्ष 2019-20 के दौरान आयकर विभाग द्वारा छूट प्रदान की गई है। तद्नुसार, वर्ष 2019-20 से इन न्यास निधियों का तुलन-पत्र तैयार किया जाएगा।

2. बजट अनुभाग

यह अनुभाग प्राधिकरण के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केन्द्रीय लेखा इकाइयों/कार्यालयों को निधि जारी करने का कार्य करता है। बजटीय आबंटन के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों/परियोजना के व्यय पर नियंत्रण रखता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान को 11 दिसंबर 2019 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। बीई/आरबीई के वास्तविक तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं।

प्राप्तियाँ

आंकड़े करोड़ (₹) में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	आकड़ें
2017-18	6800.90	3637.08	2317.89
2018-19	5197.21	4218.79	4009.86
2019-20	5476.98	4266.55	4474.95

भुगतान

आंकड़े करोड़ (₹) में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	आकड़ें
2017-18	8415.48	5295.01	4116.02
2018-19	8032.63	5651.44	4428.62
2019-20	6967.62	5338.10	4072.78

अभियांत्रिकी विंग/अन्य विभागों को जारी की गई निधिः

आंकड़े करोड़ (₹) में

अभियांत्रिकी विंग को जारी की गयी निधि	2017-18	2018-19	2019-20
कार्य (स्टोर सहित)	3004.89	3168.22	2649.20
फ्लाईओवर (यूडीएफ में से)	18.70	0.00	0.00
राष्ट्रमंडल खेल - 2010	6.00	0.00	0.00
वेतन/अनुग्रह राशि	748.38	920.81	601.03
(क) अन्य विभागों को जारी की गई निधि (शहरी विकास निधि नजूल लेखा II और जीडीए में से)			
डीयूएसी/डीयूएआई	0.00	0.00	1.00
उत्तर रेलवे	0.00	0.00	1.03
लोक निर्माण विभाग	132.52	467.95	0.00
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	28.00	86.70	12.17
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	35.89	51.16	49.33
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	--	12.00	41.72
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	--	18.00	13.83

अभियांत्रिकी विंग को जारी की गयी निधि	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली जल बोर्ड (डिजेबी)	37.21	14.19	56.93
मुख्य योजना सड़क (एमपीआर)	--	103.55	72.93
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (दि.वि.प्रा. का भाग)	1.00	3.80	0.00
सामान्य भविष्य निधि	0.00	0.00	252.78
छुट्टी नकदीकरण	0.00	0.00	67.91
पीआरएमएस	0.00	0.00	15.57
कुल	**4012.59**	**4846.38**	**3835.43**

3. निदेशक (वित्त) के अधीन इकाइयाँ

निदेशक (वित्त) का मुख्य कार्य इंजीनियरिंग विंग से प्राप्त 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. की ओर से वित्तीय सहमति प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अनुमानों एवं संशोधित प्रारंभिक अनुमानों संबंधी कार्रवाई करना है। निदेशक (वित्त) मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में गठित माध्यस्थम संवीक्षा बोर्ड के भी सदस्य और मुख्य लेखा अधिकारी विंग के आरटीआई मामलों के अपीलीय प्राधिकारी भी हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक (वित्त) मुख्य लेखा अधिकारी विंग से संबंधित न्यायालय मामलों के नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहमति का विवरण निम्नानुसार है:-

आंकड़े करोड़ (₹) में

मद	2017-18	2018-19	2019-20
विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहमति	1312.83	497.61	2351.40
पीई/आरपीई की संख्या	11	14	25
आवासीय स्कीमों के लिए वित्तीय सहमति	3607.32	7115.62	689.76
पीई/आरपीआई की संख्या	14	09	02
कुल राशि	**4920.15**	**7613.23**	**3041.16**
पीई/आरपीई की कुल संख्या	**25**	**23**	**27**

4. कार्य लेखा परीक्षा कक्ष

कार्य लेखापरीक्षा कक्ष सभी 07 जोन के मासिक खातों के साथ प्रस्तुत किए गए वाउचरों की बाद में की जाने वाली लेखा परीक्षा का कार्य, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए प्रारंभिक अनुमानों की वित्तीय सहमति तथा कार्य सलाहकार बोर्ड एजेंडा मदों की संवीक्षा, शहरी विकास निधि पूर्व लेखा परीक्षा और पेंशन/पारिवारिक पेंशन से संबंधित कार्य करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान उच्च प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए 77 मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों, 17 डब्ल्यूएबी मदों/टेंडर मामलों, 56 पीई/आरपीई मामलों, 6679 पेंशन और 237 अन्य विविध मामलों पर कार्रवाई की गई।

5. दि.वि.प्रा. का पेंशन कक्ष

पेंशन कक्ष पेंशन, पारिवारिक पेंशन ओर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मामलों का निष्पादन करता है, जो निम्नलिखित हैं:-

i. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की गणना पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर पेंशन लाभों को परिकलित करने के लिए सॉफ्टवेयर को संशोधित किया गया है और यह परिचलन में है।

ii. मुख्यालय में पेंशन संबंधी लाभ का 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत परिकलन, कम्प्यूटरीकृत पीपीओ जारी करना तथा बैंक सूचना प्राप्त किया गया है।

iii. जोनल स्तर पर पेंशन हेतु लगभग 95 प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण प्रचालन में है।

iv. दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन किया जा रहा है। लगभग 7000 मामलों की समीक्षा की गई और बैंक सूचनाओं में संशोधन किया गया और जहां जरूरी है उनको जारी किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाये गये पेंशन मामलों की संख्या और भुगतान की गयी पेंशन राशि निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निपटाये गए पेंशन मामले	किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
2017-18	1642	450.51
2018-19	1894	568.49
2019-20	1351	410.00

6. चिकित्सा सुविधाएँः-

चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाया जा चुका है एवं प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैः-

(क) कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए ओपीडी क्लेम की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडो काउंटर खोला गया है, जो 03 दिन के भीतर उनके बैंक खाते में उनके क्लेम की राशि सीधे ही जमा करा देता है, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

(ख) वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यरत स्टाफ और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के 1870 चिकित्सा कार्ड बनाए गए।

(ग) आकस्मिक दुर्घटना और हार्टअटैक मामलों के लिए उपचार हेतु कैशलेस सुविधा हेतु 26 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है।

(घ) कैंसर मामलों में उपचार के लिए क्रेडिट सुविधा हेतु 22 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

(ड) 243 अस्पताल और 28 नैदानिक इकाइयां दि.वि.प्रा. के पैनल पर हैं।

पिछले दो वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2019-20 के दौरान चिकित्सा व्यय निम्नलिखित हैंः

	2017-18		2018-19		2019-20	
	प्राप्त दावों की संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)	प्राप्त दावों की संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)	प्राप्त दावों की संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)
आईपीडी	6134	20.12	6949	19.86	7824	24.96
ओपीडी	25760	34.15	39973	24.15	21818	23.72
विशेष रोग / पीओ	2120	7.11	2417	2.82	2955	4.62
कुल	**34014**	**61.38**	**49339**	**46.83**	**32597**	**53.30**

7. संपत्ति कर सेलः-

यह नगर निगमों के पास दि.वि.पा. संपत्तियों के संबंध में संपत्ति कर के भुगतान का कार्य देखता है। दि.वि.प्रा. दिनांक 08.07.2019 को दि.न.नि. के आयुक्तों के साथ हुई बैठक तथा आवासन और शहरी विकास कार्य मंत्रालय की दिनांक 30.12.2015 को आयोजित हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमित रूप से अपनी संपत्तियों के संबंध में संपत्ति कर/सेवा प्रभारों का भुगतान कर रहा है।

तद्नुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दिल्ली नगर निगमों को संपत्ति कर/सेवा प्रभार के रूप में किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	दिल्ली नगर निगम	राशि (करोड़ रु. में)		
		वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20
1	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	6.07	6.96	6.42
2	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	4.13	0.17	2.14
3	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	3.39	2.95	5.10
	कुल	**13.59**	**10.08**	**13.66**

8. भूमि लागत निर्धारण शाखा

भूमि लागत निर्धारण शाखा के मुख्य कार्य में विकासशील (विकसित क्षेत्रों में आवासीय प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन हेतु वार्षिक पूर्व निर्धारित दरें निर्धारित करना, क्षति शुल्क का निर्धारण, दुरूपयोग प्रभारों की गणना के लिए भूमि दर तय करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंपो के संबंध में लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए वित्तीय इनपुट और योजना/प्रबंधन विंग द्वारा तैयार की गई विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की व्यवस्था भी करती है। वित्त वर्ष 2019-20 की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैः-

i. नरेला, रोहिणी और प्लास्टिक बाजार-टिकरी कलां के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों का निर्धारण।

ii. दुरुपयोग प्रभारों की गणना हेतु भूमि दरों का निर्धारण।

iii. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत क्षति वसूली योग्य दरों में संशोधन।

iv. नीति कार्यान्वयन हेतु असंगत क्षेत्रों में गोदाम समूहों के पुनर्विकास के लिए प्रभार का निर्धारण।

v. नरेला में गोदामों/गोदाम समूहों के लिए वसूल किए जाने वाले बाह्य विकास प्रभारों (ईडीसी) में संशोधन।

vi. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना हेतु परिवर्तन शुल्क।

vii. दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों/शॉप प्लॉटों, जिन्हे स्थानीय बाजार के रूप में बाद में निर्दिष्ट किया गया, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों की दरों को युक्ति संगत बनाना।

viii. सुविधा बाजारों /स्थानीय बाजारों और तथा दुकान एवं आवास प्लॉटों/शॉप प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफएआर प्रभारों की दर को युक्ति संगत बनाना।

ix. फ्लैटों के आबंटन निर्मित दुकानों और प्लॉटों के आबंटन के संबंध में दि.वि.प्रा. में लागू भू-भाटक के उपयुक्त विलंबित भुगतान हेतु ब्याज दरों के संशोधन।

9. आवास वित्त शाखाः

आवास लेखा विंग फ्लैटों/निर्मित दुकानों के आबंटन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता हैः-

1. वित्तीय सहमति के लिए फ्लैटों/निर्मित दुकानों के निर्माण के लिए प्रारंभिक अनुमानों/संशोधित प्रारंभिक अनुमानों की जाँच करना।
2. विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए लागू किए जाने के लिए कुरसी क्षेत्रफल दर का निर्धारण।
3. भूमि के लिए अनुमोदित पीएआर और पीडीआर (पूर्व निर्धारित दरों) के आधार पर फ्लैटों की लागत निर्धारण के लिए पृथक मामलों पर कार्रवाई की जाती है।
4. फ्लैटों और निर्मित दुकानों की प्राप्तियों के लेखों का रख-रखाव तथा उनकी वसूली करना।

वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य गतिविधियाँः-

क. प्रारम्भिक अनुमानों/संशोधित प्रारम्भिक अनुमानों की जाँच

मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आवासों के निर्माण, जिसमें आंतरिक विकास, विद्युतीकरण, अग्निशमन और दि.वि.प्रा. फ्लैटों की लिफ्ट शामिल है, के लिए 768.80 करोड़ रुपये की राशि हेतु प्रारम्भिक/संशोधित प्रारम्भिक अनुमान की वित्तीय सहमति प्रदान की गयी।

ख. लागत निर्धारण

i. आवास वित्त शाखा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों के लागत निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले कुरसी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एजेंडा तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

ii. 20,700 फ्लैटों, 500 दुकानों एवं 2130 स्कूटर और कार गैराजों की लागत के निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।

ग. अन्य उपलब्धियाँः-

i. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवास लेखा शाखा द्वारा प्राप्त सभी 110 मामलों में जनता को उत्तर देकर इन्हें निपटाया गया।

ii. फ्लैटों/दुकानों के लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन के लिए ''बेबाकी प्रमाणपत्र'' पर निम्नानुसार कार्रवाई की गईः-

वर्ष	तैयार किये गये अनापत्ति प्रमाणपत्र
2017-18	5320
2018-19	6149
2019-20	13,100

घ. वर्ष के दौरान आवास वित्त विंग की मुख्य उपलब्धियाँः-

जनता के लिए सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए मामलों के तीव्र/न्याय पूर्ण निपटान हेतु की गई विशेष पहल/उपाय निम्नलिखित हैंः-

क) कार्य प्रणाली में सामान्य सुधारः

i. दि.वि.प्रा. आवास योजना 2019 के अंतर्गत धन की वापसी सुचारू रूप से की गई।

ii. लम्बित मामलों की साप्ताहिक मॉनीटरिंग।

iii. आवास लेखा विंग में एनओसी/बकाया राशि से संबंधित जानकारी के मामलों को फीफो प्रणाली के अंतर्गत निपटाया गया।

ख) वर्ष 2019-20 के लिए नई पहल हेतु लक्ष्य/प्रस्ताव

1. विभिन्न स्तरों पर मामलों के निपटान हेतु मानक समय के निर्धारण द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यकलापों की बेंच मार्किंग।
2. 16 मार्च से 18 मार्च 2020 तक लंबित/शेष भुगतान, कन्वर्जन मामलों के लिए किओस्क लगाए गए।
3. दि.वि.प्रा. में रिकॉर्ड/प्रक्रियाओं का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन है।

12

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

12.1 कार्मिक विभाग

दि.वि.प्रा. मानव संसाधन संगठन की अमूल्य निधि है। विद्यमान जॉब-प्रोफाइल्स को नियंत्रित करने, कर्मचारी विकास, शिकायतों का निपटान करने, अनुशासन बनाने रखने और प्रबंधन के प्रति पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्मिक विभाग दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सेवा मामलों पर कार्रवाई करता है।

12.1.1 दूरदर्शिता, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य

कार्मिक विभाग का कार्य मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करके आम जनता को सेवाएं प्रदान करना, अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त करना, अपने कर्मचारियों में पेशेवर दक्षता पैदा करना, नेतृत्व गुणों और व्यवहार की पहचान करने के लिए जाँच एवं प्रति-जाँच करना, उनकी निगरानी करना, पुरस्कृत करना और कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करना है। कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

1. समुचित भर्ती और पदोन्नति द्वारा मानव संसाधनों को उपलब्ध कराना, अनुशासनात्मक मामलों का समय पर और समुचित समाधान करना तथा सभी सेवा मामलों में आरक्षित श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
2. मानव संसाधनों का विकास करना अर्थात प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना।
3. संवर्ग नियोजन अर्थात् संगठन की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न संवर्गों के पदों की समीक्षा करना, पुनःसंरचना (रिस्ट्रक्चरिंग)।
4. कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रगति करना।
5. स्टाफ की शिकायतों को दूर करके उनका कल्याण करना, सेवानिवृत्ति-देयताओं का समय पर भुगतान करना और कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती करना।

दिनांक 31.03.2020 को कर्मचारियों की स्थिति

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	समूह क राजपत्रित	समूह ख राजपत्रित	समूह ख अराजपत्रित	समूह ग	समूह घ	कार्य-प्रभारित	कुल कर्मचारी
1	दि.वि.प्रा.	430	801	861	1657	33	2750	6532

दिल्ली विकास प्राधिकरण में वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पूर्व कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य विधि द्वारा		
	कुल	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन जाति	कुल	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन जाति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
समूह क	430	38	16	18	52	4	1	15	56	7	--	--	--	--
समूह ख	1662	196	66	269	110	11	12	35	128	9	--	1		
समूह ग	1657	469	52	196	33	1	10	3	62	2	--	73	5	6
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	33	33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	3782	736	134	483	195	16	23	53	246	18	--	74	05	06

दिल्ली विकास प्राधिकरण में वर्ष 2019–20 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	430	--	01	02	01	01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह ख	1662	01	06	11	02	07	05	13	03	05	05	--	04	03	--	--	--	--
समूह ग	1657	03	02	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह घ	33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	3782	04	09	25	03	08	05	13	03	05	05	--	04	03	--	--	--	--

टिप्पणी: (I) वीएच से अभिप्राय दृष्टि बाधित (अन्धेपन अथवा कम दृष्टि से ग्रस्त)

- एचएच से अभिप्राय श्रवण बाधित (श्रवण बाधित व्यक्ति)
- ओएच से अभिप्राय आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग (गतिशीलता दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात)

प्रशिक्षण विभाग:

दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण विभाग दि.वि.प्रा. के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दि.वि.प्रा. की प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह दिल्ली और देश के अन्य भागों एवं देश के बाहर अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित अनेक बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों अर्थात विदेशी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने की कार्रवाई भी करता है।

वर्तमान वर्ष 2019–20 के दौरान (आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कैलेंडर 2019–20 के अनुसार) प्रशिक्षण विभाग ने दि.वि.प्रा. में एवं दिल्ली के बाहर एनपीसी, डीपीसी, आईएसटीएम, यूटीसीएस, एनआईडीएम, एनआईडीईएम, एफआरआई, एनएचएआई एवं सीबीआई अकेडमी, एनआईएमएमए एवं एनआईएचए के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया।

आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या और भागीदारों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	विवरण (01.04.19 से 31.03.2020 तक)	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1	आंतरिक कैलेंडर प्रशिक्षण/पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण/विषयगत प्रशिक्षण	96	2431
2	आरंभिक प्रशिक्षण/ एचआरडी/दिल्ली एवं यूटीसीएस में बाह्य प्रशिक्षण	86	1031
3	दिल्ली के बाहर बाह्य प्रशिक्षण	18	61
4	विदेश	02	02
	कुल	**202**	**3525**

13

विधि विभाग

13.1 विधि विभाग दि.वि.प्रा. के विभिन्न प्रशासनिक विंग द्वारा भेजे गए विधि विषयक मामलों में कानूनी राय देता है और विभिन्न नीतियों, नियमों और विनियमों का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त, विधि विभाग विभिन्न विंग में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरुद्ध और इसके द्वारा दायर न्यायालयी मामलों की निगरानी करता है। विभिन्न न्यायालयों में दि.वि.प्रा. के पक्ष का समर्थन करके भी यह दि.वि.प्रा. के विभिन्न विंग की सहायता करता है और इसके लिए भारत सरकार के विधि अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करता है।

13.2 वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालय मामलों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	विषय	01.04.2019 से 31.03.2020 तक
1	दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित कुल मामले	20943
2	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान प्राप्त कुल मामलें	2932
3	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान निर्णीत कुल मामलें	2557
4	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित कुल मामले	21318

विकास सदन

सतर्कता विभाग

14.1 सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सेवा में भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है।

14.2 दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को प्राप्त करता है, उनकी छानबीन करता है और गहन जांच भी करता है और जहां आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लेकर आरोप पत्र (चार्जशीट) तैयार करता है। सतर्कता विभाग जाँच रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग द्वारा अपीलों, पुनर्विचार याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और निलम्बन अवधि के नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है। अंततः सतर्कता विभाग शिकायतों इत्यादि की जांच के दौरान तथ्यों के आधार पर प्रणाली में सुधार की सलाह देता है। इससे निवारक सतर्कता में सहायता मिलती है।

वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 के दौरान सामान्य शिकायतों, सीवीसी मामलों एवं अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट निम्नप्रकार से है:-

1. सामान्य शिकायतें

अवधि	प्राप्त शिकायतें	निपटायी गयी शिकायतें
2017-2018	13	184
2018-2019	16	222
2019-2020	21	124

2. जाँच हेतु सीवीसी की लंबित शिकायतों का विवरण

वर्ष के अंत में	लंबित शिकायतों की संख्या
2017-2018	08
2018-2019	08 (4 पुराने मामलों का निपटान किया गया और 4 नये मामले सूचना में आये)
2019-2020	07 (सभी नए मामले अक्तूबर 2019 के दौरान और उसके बाद संस्थित किए गए)

3. आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ

अवधि	जारी किए गए आरोप पत्रों की संख्या	भारी दंड	मामूली दंड
2017-2018	29	27	02
2018-2019	40	33	07
2019-2020	26	20	06

4. निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

अवधि	निपटाये गये आरोप पत्रों की संख्या	लगाया गया दंड		दोष मुक्त किये गये
		भारी	मामूली	
2017-2018	31	27	04	00
2018-2019	37	22	09	06
2019-2020	24	15	05	04

5. आरंभ किए प्रणालीगत सुधार/निवारक सतर्कता उपाय:

- **भूमि की ई-नीलामी**

  जनवरी 2019 से 2209 संपत्तियों की निलामी हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन ई-बोली, ऑनलाइन भुगतान का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया।

- **दि.वि.प्रा. के खाली प्लॉटों की सैटेलाइट इमेजरी और जियो-टैगिंग**

  इसरो के सहयोग से दि.वि.प्रा. ने खाली पड़े भूखंडों के भू-संदर्भों को खोजने के उद्देश्य से "GAGAN" नामक एक ऐप विकसित किया है।

  यह ऐप खाली पड़े भूखंड के भू-संदर्भों की पहचान करने और उनमें परिवर्तन करने में मदद करता है तथा अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का पता लगाकर नियंत्रक को सूचित करता है।

- **लैंड पूलिंग नीति (एलपीपी) का ई-प्रबंधन**
  - एलपीपी की सभी प्रक्रियाएँ वेब आधारित हैं।
  - आईआईटी, रुड़की और सर्वे ऑफ इंडिया को एन - जोन की मैपिंग का कार्य सौंपा गया है।

- **ई-निविदा**
  - इसके माध्यम से उचित, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी निविदाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
  - इसके माध्यम से दरों में हेरफेर को रोकने, सबसे कम निविदा की पहचान करने और मूल्य संघ निर्माण में मदद मिलती है।
- **बुक्स का ई-मापन**

  परियोजना के काम की विभिन्न मदों के निष्पादन के समय के अनुसार साइट पर किए गए कार्य का वास्तविक समय में स्मार्ट फोन पर एक ऐप के माध्यम से मापन किया जाता है। जिससे हेरफेर और सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं रहती है।
- विभाग की डिजिटल आधारित विभिन्न सेवाएं

14.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

- सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में दि.वि.प्रा. और पूरी दिल्ली में स्थित इसके विभिन्न कार्यालयों ने 28.10.2019 से 01.11.2019 तक ''ईमानदारी-एक जीवन शैली'' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

  सतर्कता सप्ताह के पहले दिन अध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा सभी दि.वि.प्रा. अधिकारियों और स्टाफ को शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 दि.वि.प्रा. कर्मचारियों को जन सेवा प्रणाली में सत्यनिष्ठा का महत्व और उसके साथ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मनाया गया। सतर्कता सप्ताह के दौरान नागरिकों/संगठनों/दि.वि.प्रा/नागरिक सुविधा केंद्रों में आने वाले 6521 से ज्यादा आगन्तुकों को उनके कार्य के लिए शपथ दिलाई गई। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट और बैनरों/पोस्टरों/स्टिकरों/पैम्फलेटों के द्वारा इस समारोह का प्रचार किया गया। निबंध प्रतियोगिता/पोस्टर बनाना/नारा लेखन/वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। श्री तरुन कपूर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 01.11.2019 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

नजारत विभाग

नजारत विभाग का मुख्य कार्य है सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन को देखना। स्टेशनरी, कार्ट्रिज, फोटोकॉपियर कागज, क्रॉकरी के समान, फर्नीचर, फैक्स और फोटोकॉपियर मशीनों, रबड़ की मोहरों और नेम प्लेटों, टेलीफोन यंत्रों आदि को खरीदना, मोबाइल फोनों के बिल की प्रतिपूर्ति करना, लेटर हेड्स एवं विजिटिंग कार्ड्स को छपवाना, साफ-सफाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना, कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति, प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान उपलब्ध करना, इसके मुख्य कार्य हैं।

15.1. आरटीआई विभाग

वर्ष 2019-20 के दौरान आरटीआई आवेदनों का विवरणः

क्रम संख्या	आरटीआई आवेदन का विवरण			
	प्राप्त		निपटान किया गया	
1.	ऑफ-लाइन	3758	ऑफ-लाइन	3657
2.	ऑनलाइन	4275	ऑनलाइन	2398
	कुल	8033	कुल	6055

15.2. स्टाफ क्वार्टर आबंटन शाखा

वर्ष 2019-20 के दौरान 96 नए स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए और 08 स्टाफ क्वार्टरों में परिवर्तन किया गया।

स्टाफ क्वार्टर की श्रेणी	नए	परिवर्तन
टाइप-I	01	01
टाइप-II	10	03
टाइप-III	75	04
टाइप-IV	10	00
कुल	**96**	**08**

15.3 राजभाषा अनुभाग

भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा अनुभाग द्वारा दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान राजभाषा कार्यान्वय समिति की 04 बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 6 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें 74 अधिकारियों और 90 कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

सितंबर 2019 में ''हिंदी पखवाड़ा'' मनाया गया जिसमें हिंदी वाद-विवाद, हिंदी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिंदी निबंध, हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी सुलेख एवं हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल 382 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। ''हिंदी पखवाड़ा'' के दौरान हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गयी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में पीएसी पैरा, सीएजी रिपोर्ट, स्थायी समिति की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 दि.वि.प्रा. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 'विकास वार्ता' पत्रिका के लेखों, प्रशिक्षण विभाग की प्रशिक्षण पुस्तिका, स्थायी समिति और संसदीय परामर्शदात्री समिति आदि के लगभग 1430 पृष्ठों का अनुवाद किया गया। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट की सामग्री का पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद भी किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले फार्मों, मानक-पत्रों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदाओं, विज्ञापनों, आदेशों, परिपत्रों और विभिन्न विभागों के संस्थापना आदेशों का भी अनुवाद किया गया।

15.4 जन संपर्क विभाग

दि.वि.प्रा. का जन संपर्क विभाग भुगतान सहित अथवा भुगतान रहित प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलाप करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य करता है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें तय करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना तथा मासिक ई-समाचार पत्र का प्रकाशन शामिल है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग को प्रेस सम्मेलनों, प्रेस यात्राओं, विभिन्न समारोह को कवर करने की व्यवस्था करने, प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जाँच और अनुवर्ती निगरानी करने तथा अन्य विभागों के साथ संपर्क करने के कार्य सौंपे गये हैं।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान किए गए कार्यः

- 107 विज्ञापनों (हिन्दी और अंग्रेजी) के डिजाइन और लेआउट तैयार करके इन विज्ञापनों को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।
- 4 विज्ञापनों के डिजाइन और लेआउट तैयार करके इन्हें विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया।
- 2 वीडियो डॉक्यूमेंट्री और 1 शॉर्ट फिल्म को शूट किया गया और दि.वि.प्रा. की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया गया।
- 3 विज्ञापनों के डिजाइन और लेआउट तैयार करने के बाद इन्हें विभिन्न एफएम रेडियो/चैनलों पर प्रसारित किया गया।
- 2 कार्यक्रमों के लिए दि.वि.प्रा. में एक सहयोगी सहायक के रूप में कार्य किया।
- स्वागत कक्ष में कंप्यूटरीकृत प्राप्ति एवं प्रेषण काउंटरों के द्वारा 62,354 पत्र प्राप्त हुए और 64,986 पत्र प्रेषित किए गए।
- दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 2456 कतरनें काटी गई और वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी अथवा प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, के लिए परिचालित की गई।

- वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को संकलित करने, डिजाइन करने और मुद्रण का कार्य किया गया।
- वर्ष 2020 के 15000 वार्षिक कैलेंडर का डिजाइन मुद्रण एवं वितरण किया गया।
- दि.वि.प्रा. की सोशल मीडिया टीम द्वारा 21 समारोहों को कवर किया।
- सोशल मीडिया पर 10 ई-न्यूजलेटर्स डिजाइन एवं पोस्ट किए गए।
- इस अवधि के दौरान, वर्ष 2019-20 के लिए अनुबंध विज्ञापन दरों हेतु विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों के प्रकाशन संस्थानों के साथ बातचीत की गई।
- दि.वि.प्रा. के कॉल सेंटर द्वारा दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों से संबंधित आम जनता के 75211 प्रश्न प्राप्त हुए।
- ई-ऑफिस डाक काउंटर तैयार किया गया और विकास सदन के आंगतुकों के लिए फोटो पास जारी किए गए।

15.5 जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक ऑफलाइन मामलों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट-

कैबिनेट सचिवालय से प्राप्त संदर्भ (डीपीजी)

- 31.03.2019 तक लंबित बी / एफ 12
- वर्ष के दौरान प्राप्त 17
- वर्ष के दौरान उत्तर दिए गए 07
- 31.03.2020 को लंबित 22

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त जन शिकायतें

- 31.03.2019 तक लंबित बी / एफ 695
- वर्ष के दौरान प्राप्त 605
- वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई 208
- 31.03.2020 को लंबित 1092

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त वीआईपी/एमपी संदर्भ

- 31.03.2019 तक लंबित बी / एफ 34
- वर्ष के दौरान प्राप्त 03
- वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई 10
- 31.03.2020 को लंबित 27

सांसदों एवं मंत्रियों से उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त उपाध्यक्ष संदर्भ

- 31.03.2019 तक लंबित बी / एफ 180
- वर्ष के दौरान प्राप्त 58
- वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई 15
- 31.03.2020 को लंबित 223

जन शिकायतें (सीधे प्राप्त)

- 31.03.2019 तक लंबित बी / एफ 101
- वर्ष के दौरान प्राप्त 54
- वर्ष के दौरान मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट/की गई कार्रवाई 37
- 31.03.2020 को लंबित 118

सीपी ग्राम्स पोर्टल प्रगति रिपोर्ट

शिकायत के स्रोत	आगे लाया गया	अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	अवधि के दौरान निपटाये गये मामले	अंत शेष मूल्यांकन
डीपीजी	16	81	97	92	5
डीएआरपीजी	8	133	141	112	29
स्थानीय/इंटरनेट	100	1293	1393	1272	121
राष्ट्रपति सचिवालय	0	16	16	15	1
पेंशन	1	30	31	27	4
पीएमओ	108	1949	2057	1898	159
कुल	**233**	**3502**	**3735**	**3416**	**319**

16

कोटि आश्वासन कक्ष

16.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ''ग्राहक ही सर्वोपरि है और वह लाभान्वित होना चाहिए'' को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए गुणवत्ता को मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न अनुभागों में ही सुनिश्चित नहीं किया जाता, बल्कि इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के सभी निर्माण एवं विकास कार्यों में भी सुनिश्चित किया जाता है।

16.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग का कार्यक्षेत्रीय स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष के स्तर पर उन कार्यों की समय समय पर निरीक्षण करके भी जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा शर्तों विनिर्देशों और ड्राइंगों का अनुपालन सख्ती से किया जाता है।

16.3 कोटि आश्वासन कक्ष का गठन वर्ष 1982 में किया गया था, जिसमें 9 कनिष्ठ अभियंता, 10 सहायक अभियंता (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंता (6 सिविल और 1 विद्युत), एक उप निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता शामिल है। कक्ष के प्रमुख मुख्य अभियंता है। यह इकाई गुणवत्ता आश्वासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि ही नहीं देखती है, बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉन्ट्रेक्ट डॉक्यूमेंट्स, विनिर्दिष्टयों आदि की कोटि का भी निरीक्षण करती है और समय समय पर दिशा–निर्देश, परिपत्र आदि जारी करती है। तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा परिपत्र संख्या 213 जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोटि आश्वासन कक्ष टी.पी. क्यू.ए. की निरीक्षण रिपोर्टों की निगरानी भी करें।

बड़े कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली आरंभ की गई है सी.आर.आर.आई, एन.सी.सी.बी.एम, आई.आई.टी, आर.आई.टी.ई.एस, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च आदि एवं निजी संस्थाएं भी परामर्शदाताओं के रूप में अनुबंधित की गई है। इन कार्यों को करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के कुल सैम्पलों के 10 प्रतिशत को लेकर कोटि आश्वासन कक्ष स्वयं तृतीय पक्ष के साथ आवश्यक जांच करते हैं, ताकि सामग्री की कोटि सुनिश्चित की जा सके। जांच एवं टी.पी.क्यू.ए. की नियुक्ति हेतु परिपत्र संख्या 223 जारी किया गया है।

16.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा मुख्य परियोजनाओं की कम से कम दो बार अर्थात् फाउंडेशन स्तर और सुपर स्ट्रक्चर स्टेज पर जांच की जाती है। तथा अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से अथवा कोई शिकायत मिलने पर तीसरी बार जाँच की जाती है। प्रक्रियात्मक सामग्री और कारीगरी के पहलुओं के रिकार्ड्स के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसकी कोटि लेखा परीक्षा के दौरान विधिवत जांच की जाती है। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई और नैदानिक उपायों हेतु इसे संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है और टिप्पणियों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कोटि आश्वासन कक्ष को कार्य सलाहकार बोर्ड द्वारा दि.वि.प्रा. की प्रमुख परियोजनाओं में उपयोग होने वाली विविध फैक्ट्रियों में निर्मित सामग्रियों का निरीक्षण करने और सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी के स्तरों की समुचित रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करने जैसे विशेष कार्य भी सौंपे गए हैं।

16.5 अपनाई गई विनिर्दिष्टयों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और वर्तमान आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाता है। नई निर्माण सामग्री के उपयोग, नई तकनीकों जैसे आवासीय परियोजनाओं में प्रीफैब तकनीक, मिश्रित डिजाइन के प्रयोग/आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने को बढ़ावा दिया गया है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना, समय और लागत पर नियंत्रण किया जाता है। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं,सौंदर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से निगरानी की जाती है।

16.6 दि.वि.प्रा. सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रहा है। विभिन्न निरीक्षणों के दौरान फील्ड स्टाफ के साथ बातचीत की जाती है ताकि गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध सुझाव सामने आ सके। उनकी दक्षता में सुधार हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन कक्ष के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को नियमित रूप से भेजा जाता है।

16.7 लंबे समय से लंबित कोटि आश्वासन के पैरा का निपटान करने को 31.03.2005 तक के मामलों को समाप्त करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा एक अभियान भी चलाया गया। जिन पैरा में कोई वित्तीय अड़चन नहीं थी, उनका निपटान किया गया और काफी संख्या में मामलों को बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप काफी संख्या में मामले अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। प्रक्रियात्मक पैरा को निपटाने के लिए जोनल मुख्य अंभियंताओं को क्षेत्राधिकार सौंपने के प्रयास किए गए। कोटि आश्वासन कक्ष ने केवल उन्हीं पैरा को रखा, जिनमें वित्तीय अड़चन थी अथवा जिनमें विशेष महत्वपूर्ण तकनीकी मामला शामिल था। कोटि आश्वासन कक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं तथा निरीक्षण के दौरान अभियंताओं के बीच बातचीत में सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाई हैं।

16.8 जब कभी भी उपाध्यक्ष, अभियंता सदस्य और सतर्कता कक्ष के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से जांच कराई जाती है और यदि कोई सतर्कता संबंधी बात शामिल होती है, तो सतर्कता कक्ष द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता है।

16.9 निर्माण कार्यों के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष के एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स में साधनों से सज्जित एक जांच लैब को दो सहायक अभियंताओं और दो कनिष्ठ

अभियंताओं द्वारा संचालित किया जाता है। इस लैब में विभिन्न सामग्रियों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल की दैनिक रूप से जांच कराई जाती है। निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित किए गए यादृच्छिक नमूनों की अक्सर इस लैब में जांच कराई जाती है। बड़े पैमाने पर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और अन्य लैबों में कम से कम 10 प्रतिशत नमूनो को जांच के लिए देने पर बल दिया जाता है।

16.10 दि.वि.प्रा के कोटि आश्वासन कक्ष ने आईएस/आईएसओ 9001:2015 लाइसेंस प्राप्त किया है। कोटि आश्वासन कक्ष आईएसओ/ 9001:2015 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंधन, कोटि नीति और कोटि उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, संसाधन प्रबंधन, सर्विस रियलाइजेशन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देता है पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा किए जाने के बाद ही दि.वि.प्रा. कोटि आश्वासन कक्ष को आईएस/आईएसओ 9001:2015 लाइसेंस प्राप्त हुआ और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) दि.विप्रा. द्वारा अंगीकृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संतुष्ट था । भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) ने मार्च 2007 में दि.वि.प्रा. को आईएस/आईएसओ 9001:2000 के ''कोटि प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सीआरओ/क्यूएम/एल-8002720.1'' प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक तीन वर्ष बाद इसका नवीकरण किया जाता है और यह पिछली बार 20.12.2019 को नवीकरण किया गया जो दिनांक 29.03.2022 तक वैध है। आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएसओ-9001:2015 तक बीआईएस ने क्यूएमएस प्रमाण ने लाइसेंस सीआरओ/क्यूएम/एल-8002720.4 प्रदान किया।

16.11 कोटि आश्वासन कक्ष और प्रणाली शाखा द्वारा किए गए कार्य के ई-मापन के लिए कार्यालय में एक मोबाईल एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया। यह ऐप दिनांक 01.11.2015 को शुरू किया गया था और तत्पश्चात सभी कार्यों और छिटपुट व्ययों के सभी भुगतान इस मोबाइल ऐप के द्वारा किए जाते है। निष्पादन एजेंसियों को भुगतान हेतु फिल्ड डिवीजनों द्वारा रिकॉर्ड किए गए कार्य की विभिन्न मदों हेतु मापकों का विवरण पारदर्शिता हेतु पब्लिक डोमेन में शेयर किया जा रहा है।

16.12 पिछले दो वर्षों 2018-19 और 2019-20 की उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े तथा वर्ष 2020-2021 के लक्ष्य निम्न तालिका में दिए गए हैं:-

क्र. सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21 के लिए लक्ष्य
		(लक्ष्य)	(उपलब्धियाँ)	(लक्ष्य)	(उपलब्धियाँ)	
1	निरीक्षण	215	187	342	242	346
2	तकनीकी लेखा परीक्षा	7	-	8	7	7
3	सीटीई टाइप निरीक्षण	4	-	6	-	-
4	सामग्रियों के नमूने	320	615	578	337	595
5	फाइलें बंद करना	100	28	123	63	98
6	शिकायतों की जांच	जैसे ही प्राप्त हो	26	जैसे ही प्राप्त हो	-	जैसे ही प्राप्त हो
7	क्यूए लैब में सामग्रियों की जांच i) निरीक्षण के दौरान क्यूएसी द्वारा इकट्ठे किए गए सैंपल	130	77	60	19	36
	ii) जोनों से फील्ड स्टाफ द्वारा लाए गए सैंपल	14100	10813	9060	7714	6000
8	औचक निरीक्षण	7	1	9	-	02

श्री हरदीप एस पुरी, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम उदय स्कीम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस

श्री अनिल बैजल, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली विभिन्न ई गवर्नेंस पहलों को लांच करते हुए

दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली – 110023
www.dda.org.in